श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

15.35 hrs.

SALARY, ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS OF PARLIAMENT (AMENDMENT) BILL.*

Amendment of section 8A etc.

SHRI DOONGAR SINGH (Hamirpur) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Salary, Allowances and pension of Members of Parliament Act 1954.

MR. DEPUTY SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Salary, Allowances and pension of Members of Parliament Act, 1954."

The motion was adopted.

SHRI DOONGAR SINGH : I introduce the Bill.

LOKPAL BILL.*

SHRI CHITTA BASU (Barasat) : I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the appointment of a Lokpal to inquire into allegations of misconduct against public men and public servants and for matters conrected there with.

MR. DEPUTY SPEAKER : The question is :

" That leave be granted to introduce a Bill to provide for the appointment of a Lokpal to inquire in to allegations of misconduct against Public men and public servants and for matters connected therewith.

The motion was adopted

SHRI CHITTA BASU : I introduce the Bill.**

15.36 hrs.

CENTRAL EXCISES AND SALT (AMENDMENT) BILL*

(*Insertion of new sections 11D, 11E, etc*).

SHRI NAVIN RAVANI : (Amreli) I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Central Excises and Salt Act, 1944.

MR. DEPUTY SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Central Excises and Salt Act, 1944."

The motion was adopted.

SHRI NAVIN RAVANI : I introduce the Bill.**

15.37 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

Amendment of article 31B)

MR. DEPUTY SPEAKER : We now take up further consideration of the Constitution (Amendment) Bill - (Amendment of article 31B).

Two hours have been allotted. Shri M.M. Lawrence has already taken 120 seconds. Now he can continue.

SHRI M.M. LAWRENCE (Idukki) : This is an amendment envisaging to give protection to the farmers and the landless poor

* published in gazette of India Extraordinary. Part-II Section 2 dated 18-11-83.

** Introduced with the recommendation of the president.

as also the laws passed by Parliament and the State Assemblies, in view of the ameliorating condition of the toiling farmers and the agricultural labour. Article 31B has provided for validation of Act and regulation to be included in the 9th Schedule and to protect these acts from any kind of judicial probe. But this Protection very often has not been extended to legislation relating to land reforms or land acquisition meant for social and economic justice. So this amendment proposes to provide for compulsory inclusion of such legislations in the 9th Schedule.

Many courts have struck down the provisions of the land reform act passed by the State Assemblies. One can see from the judgments of the courts. All these were done by helping the landlords of the country, helping vested interests and opposing and denying the interests of the toiling farmers.

Without radical land reform neither the problem of unemployment, nor the rural poverty can be tackled. It is stated in the Sixth Plan document :

> "The pace of implementation of these measures particularly of ceilingland legislations have been slow and full of loopholes so that their impact on the structure of land holdings has been minimal. The land reform programme is by no means complete and has to be pursued further if we are to tackle effectively the problems of powerty and inequality."

But what has happened in our country in respect of land reform ? If we go to the history of some years back, in 1969, Mahalanobis Committee estimated 63 million acres of surplus land in the country,- the ceiling per family as 20 acres. But when the Sixth Five year Plan commenced, the target for distribution of surplus land shrinked to mere 40 lakh acres. Out of this only 26.9 lakh acres has been taken possession of by the State Govern ment and that too was not distributed among the landless poor. Only 18.79 lakh acres have been actually distributed. 13 lakh acres still have to be acquired by the Government. 12 lakh acres are involved in the court cases. From this one can very well understand the need of this amendment to our Constitution.

This land ceiling legislation has been sabotaged by the land owners. How have they been able to sabotage it ? It is because the Congress Government helped the landlords to sabotage the land reform enactments. They are the only responsible authorities who have helped the landlords to sabotage the enactments which were envisaged to ameliorate the conditions of the poor people of our countryside. I have no wonder in this because the Chief ministers or Ministers of the Congress State Ministries themselves were big landlords or their advocates. Even persons who were sitting in responsible position of the ruling party are big landlords. They were owning more than 10,000 acres of land, not all of them, some of them. So, these ministers, these Chief Ministers of the ruling party and leaders are not at all sincere in bringing forward foolproof land reform act. The land reform brought forward by the Congress Government was not directed to give land to the tillers. Their main objective was reform, not abolish the old type of landlordism, They retained them as feudal and at the same time reform them to a certain extent as capitalists.

Another object of the land reform made by the ruling Congress was to create rich peasants in the countryside and these two sections largely constitute the Political base of the ruling party in the rural area.

Thousands of crores of rupees from the public exchequer were funded into agriculture. But this was owned by the landlords as well as rich peasants in the countryside.

I can proudly say here that only in 1957, the first Communist Ministry in Kerala, the Left Front Government in West Bengal and Tripura and the Left Democratic Government in Kerala took serious measures with all sincerity to enact and implement land reforms legislation. The Congress leadership has only tried to sabotage the progressive steps taken up by the Left Front Government in the matter of land reforms They waged the notorious liberation struggle against the first Communist Ministry in 1959,

(Shri M.M. Lawrence)

in Kerala, which was led by Shri E.M.S. Namboodiripad. Their aim was to help the landlords because the Left Front Government wanted to ave agrarian reforms to ameliorate the condition of farmers and poor landless people.

Even now, a land reforms Bill is pending before the Central Government for getting approval. For example, the West Bengal Legislative Assembly Passed an Amendment Bill on 9th April, 1982 to plug the loopholes in the existing land ceiling laws. The Central Government kept that Bill pending for more than one Year and, afterwards, it was returned to the West Bengal Government by raising a number of objections Till now, the approval has not been given. The aim of all those objections was to delay the implementation of that enactment so that the vested interests can continue unlimited loot of the farmers and poor landless people in West Bengal.

In 1980, the Left Democratic Government in Kerala invalidated Section 6 (c) of the Land Ceiling Act which provided for exemption of land given as gift from the purview of land ceiling Act. Still that Bill is pending before the Central Government for approval. In whose interest is the Central Government holding up the assent for the enactment of legislations passed by the West Bengal Government and the Kerala Government ? It is only for the benefit of vested interests, who exploit the farmers and poor landless people in the countryside.

Land reforms is the basic thing which we have to do to ameliorate the condition of our poor people. It is the basis for industrialisation of the country. Without radical land reforms, we cannot expand our internal market. Our internal market is our countryside. Without increasing the purchasing capacity of the poor people in the countryside we are not going to industrialise our country. How, so many industries are being closed down, lockouts, layoffs, retrenchment, everything is being done by the employers. The engineering industry and so many other industries are facing very great difficulty for selling their products. For selling out their products and this is adding to unemployment. Unemployment is on the increase. Government never succeeded in reducing the number of unemployed.

This Government is intentionally not implementing the radical land reforms in the country. The reason for this failure and the sole aim of the Government is only to help the landlords who are sharing power with the ruling party of this country.

In this connection, I would like to quote the resolution passed at the Lucknow Congress in 1936 :-

> "This Congress is of opinion that the most important and urgent problem of the country is the appalling poverty, unemployment and indebtedness of the peasantry, fundamentally due to antiquated and repressive land tenure and revenue systems intensified in recent years by the great slump in prices of agricultural produce. The final solution of this problem inevitably involves the removal of British imperialistic exploitation........."

I would like to hasten in this connection to say that even though there is now no imperialistic exploitation in the country, in its place we are witnissing the exploitation of the poor people by the landlords the rich peasants and the big capitalists and the foreign capitalists too aided by the ruling party in power.

A thorough change of the land tenure and revenue systems and the recognition by the State of its duty to provide work to the rural unemployed masses is the most urgent requirement of the day, the importance of which is not realised by the ruling party.

Anybody can see the difference in precepts and practices of the Congress of old which fought for our freedom from foreign rule and the Congress of today which is ruling the country.

In this connection, I would like to give another quotation from the speech of Shri Jawaharlal Nehru delivered at Faizpur Congress in December, 1977-78 :

"The reform of the land systems is tied up with the development of industry, both large-scale and cottage, in order to give work to our scores of millions of unemployed and raise the political standards of our people. That again is connected with so many other things—Education, Housing, roads and transport, sanitation, medical relief, social services etc.........

These primary necessities of life are denied to the people of India even today after 36 years of attainment of freedom. The ruling party has not cared to implement the land reforms.

Had the land reforms been implemented by the ruling party, our country would have become industrialised, unemployment might have been wiped out and the poverty of our people would have been ended. Condition of our people would have developed in all spheres.

All these radical reforms have been neglected by the ruling class.

I, therefore, request with all earnestness the ruling party Members at least to accept this amendment of the Constitution.

I never claim that by accepting this amendment to Article 31B of the Constitution, we are going to bring socialism in our country or bring about radical land reforms or that we are going to wipe out landlordism in our country. Nevertheless, to a certain extent, it will help our poor people. These enactments are being made by the non-Congress-I Governments especially the left and democratic governments to ameliorate the condition of the farmers. I again request the hon. Minister to accept this Amendment.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Motion moved :

"That the Bill further to amend the Constitution of India, be taken into consideration."

Mr. Virdhi Chander Jain. There are many hon. Members to speak. I would, therefore, request hon. Members to be as briefs as possible and take not more then ten minutes each.

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, लारेंस जी ने जो संविधान में संशोधन किया है उसका मैं तहेदिल से समर्थन करता हूं।

हमने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त की और सविधान भी समय पर बना दिया। संविधान बनाने के बाद 32 (वी) परिवर्तन भी 1951 में कर दिया। नवीं सूची में लेने पर हमने उनको प्रोटक्शन किया। हाई कोर्ट्स ओर सुप्रीम कोर्ट् में जो एक्ट्स हैं, उनके लिए केसेस को एन्टरटन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार हमने सुरक्षा की। परंतु इसके लिए जो प्रोसीजर अडाप्ट किया गया नवीं सूची में लाने के लिए उसके अन्दर बार बार कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट करने के बाद नवीं सूची में लाने के लिए कई अमेंडमेंट करने पड़े। जैसे राजस्थान टेनेंसी एक्ट, दूसरे प्रांतों में लैण्ड रेफार्म एक्ट लाया गया, सीलिंग एक्ट लाया गया। इसमें बहुत समय लगा। उसके कारण यह स्थिति पैदा हुई कि जब 1956 में राजस्थान टेनेन्सी एक्ट पास किया और राजस्थान के अन्दर सीलिंग एक्ट 1956 में पास किया गया, उसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पार्टियां गई और 1964 में जाकर क्लीयरंस हुआ। 8 साल में इम्लीमेंटेशन के लिए हम उसको ला सके। उस समय ऐसी स्थिति आई जब लैंण्ड रेफार्म करने जा रहे थे, कानून पास किया था, उस बक्त हमारे मन में जोश था, लगन थी, कि इस प्रकार हम जमींदारी प्रथा और जागीरदारी प्रथा को समाप्त कर देंगे। भूमिहीन लोगों को जमीन दी जाएंगी। परन्तु जो हम सोच रहे थे वह नहीं हो पाया। उस वक्त एवेन्यू मिनिस्टर श्री मोहन लाल सुखाड़िया थे जो बाद में चीफ मिनिस्टर बने। वह हमारा सपना साकार नहीं हुआ।

(श्री वृद्धि चन्द्र जैन)

1964 के बाद इस प्रकार की स्थिति पैदा हो गई कि राजाओं और जागीरदारों, जमींदारों ने अपनी जमीन का बेनामी ट्रांजिक्शन कर दिया और उनकी जमीन लेना बड़ा कठिन काम हो गया। मैं अनुभव के साथ कहता हूं कि इस प्रकार के लैण्ड रेफार्म के बारे में एक सलेक्ट कमेटी बनी थी।

16.00 hrs.

उस सिलेक्ट कमेटी का मैं भी सदस्य था। मुझे यह देखकर बड़ा दुःख हुआ कि हम 26 सदस्यों में से केवल 6 सदस्य ही पक्ष में थे। दूसरे जो सदस्य थे, वे यह नहीं चाहते थे कि इस प्रकार का प्रगतिशील कानून बनाकर भूमि सुधार करके गरीब लोगों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों को ज़मीन उपलब्ध हो। यह स्थिति पैदा हो गई कि यह कानून 1976-77 में जाकर के पास हुआ। उसमें यह पास हुआ कि 18 वर्ष से ऊपर का अगर कोई सदस्य फैमिली में है तो उसका अलग परिवार होगा। इस प्रकार से अलग परिवार करके ऐसा कानून बना दिया जिससे बहुत कम ज़मीन उपलब्ध हुई। उस कानून में यह भी प्राविजन रखा गया कि लैण्ड-लार्ड अपनी चाइस से ज़मीन दे। लेकिन उसने डिसप्युटेड ज़मीन दी। इस प्रकार बहुत सी ज़मीन डिस्प्युट में है। इससे लोगों को ज़मीन का कब्जा नहीं मिल पाया। इस प्रकार लैण्ड रिफार्म का जो हमारा परपज़ था जिसके ज़रिए हम गरीब आदमी की समस्या का समाधान करना चाहते थे, वह हम नहीं कर सके। मैं चाहता हूं कि इस अमेंडमेंट में जो यहां लाया गया है इस प्रकार का प्राविजन हो जाता कि जितने भी लैण्ड रिफार्म और लैण्ड रिक्वीज़ीशन के कानून हैं चाहे इकानोमिक अपलिफ्टमेंट या सोशल अपलिफ्टमेंट के हो, इस तरह की सूची में आ जाते तो फिर यह स्थिति नहीं होती। जिस प्रकार हम चाहते थे कि गरीबों की गरीबी मिटाए, उनकी बेरोज़गारी की समस्या को हल करें तो काफी हद तक हम हल कर सकते थे। मैं अपने प्रांत की बात करना चाहता हूं। हमारे यहां कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे तत्व थे जो प्रगतिशील कदम उठाने नहीं देना चाहते थे और बहुत से प्रांतों में भी इसी प्रकार की स्थिति हुई। हमारे यहां ऐसे तत्व थे जिनकी वजस से हम प्रगतिशील कदम नहीं उठा सके। इसलिए, हम यदि विकास करना चाहते हैं, प्रजातन्त्र को सुदृढ़ करना चाहते हैं, समाजवाद को लाना चाहते हैं, गरीबी को मिटाना चाहते हैं तो हमें कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। अभी तक जो भी लैण्ड रिफार्म के जितने भी कानून बने हैं या बनाए गए हैं, उनके लिए हाई कोर्टस में केसेज़ चल रहे हैं, रिट पेटीशन चल रही हैं। मैं, ला मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो डिपिकल्टीज आई हैं उनको कांस्टीच्युशन की नौवीं सूची में अमेंडमेंट करके ले लिया जाए ताकि प्रगतिशील कदम उठाए जा सकें। हमने राजाओं का राज समाप्त किया, जागीरदारी की जागीरदारी समाप्त की परन्तु अभी तक हम ज़मींदारी समाप्त नहीं कर सके हैं। 70 फीसदी लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत कम ज़मीन है। सत्तर प्रतिशत जो भूमिहीन हैं या जिन के पास दो चार वीघा जमीन है वे कितना भी प्रयास करें, सफल नहीं हो सकते हैं और मजदूर हो कर उनके परिवारों के सदस्यों को शहरों में मजदूरी करने के लिए आना पड़ता है, अपनी रोज़ी रोटी की अन्यत्र व्यवस्था करनी पड़ती है। कृषि क्षेत्र में हमें सफलता नहीं मिल पा रही है चाहे हम उनको तरह-तरह की सुविधायें भी दे रहे हैं। स्माल और मार्जिनल फार्मर्ज को हम लोज़ आदि सब दे रहे हैं, परन्तु फिर भी वे सफल

नहीं हुए हैं और बिग फार्मर्ज के साथ उनको कम्पीट करना पड़ता है और वे उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। उनको उस प्रकार के साधन उपलब्ध नहीं होते हैं, ट्रेक्टर्ज उपलब्ध नहीं होते हैं, समय पर सीड नहीं मिल पाता है, वर्षा के समय जब उनको हल की जरूरत होती है, वह देर में उनको प्राप्त होता है और इस सब का नतीजा यह होता है कि वे बिग फार्मर्ज के साथ कम्पीटीशन में टिक नहीं पाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उनको हम आगे लाना चाहते हैं, उनका हम विकास करना चाहते हैं लेकिन जो-जो भी लैंड रिफार्म्ज हमें करने चाहते थे वे नहीं हुए, भूमिहीनों की स्थिति को हम जिस तरह से सुधारना चाहते थे, उनकी स्थिति को मजबूत करना चाहते थे वह हम नहीं कर सके। जिनके पास कम जमीन है, उनको अच्छा सीड देकर, अच्छा लोन देकर, और उनको इकोनोमिक लैंड होल्डिंग देकर हम को उनकी स्थिति को मजबूत करना चाहिये। हमने उनकी स्थिति मजबूत की तभी हमारा जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति हम कर सकेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ इस विधेयक का में समर्थन करता हूं।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : यह एक सा विधेयक है जिसको सरकार को तुरन्त मान लेना चाहिये। मंत्री महोदय, ला मिनिस्टर साहब बिहार के गवर्नर रह चुके हैं। वह इस चीज को जानते हैं कि भूमिहीनों की वहां क्या हालत है। सरकार को मैं समझता हूं सीधे कहना चाहिये कि हम इस विधेयक को स्वीकार करते हैं और इसको नवीं सूची में डालते हैं।

सरकार ने इसी सदन में एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि इस देश में 52 लाख एकड़ सरपलस लैंड है। उसमें से चालीस लाख एकड़ कब्जे में ली गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जिस जमीन पर वास्तव में कब्जा हुआ है वह 23,53,881 एकड़ है और जो जमीन परिवारों के बीच में बांटी गई है वह 18,34,413 एकड़ है। आपने बीस सूत्री कार्यक्रम चलाया है। मैंने यहां पर प्रधान मंत्री जी के सामने कहा था कि जब आपका लक्ष्य सरपलस जमीन को भूमिहीनों के बीच बांटने का है तो 52 लाख एकड़ सरपलस जमीन में से क्यों 18 लाख एकड़ ही बांटी गई और ब की जमीन का बटवारा क्यों नहीं हुआ। सरकार हमेशा कहती है कि बटवारा इसलिए नहीं हुआ — कि बड़े-बड़े जो जमीन के मालिक हैं, भूपति हैं वे कोर्ट में चले जाते हैं। सरकार ने इसी सदन में बताया कि 11 लाख एकड़ जमीन के मामले हैं जो कोर्टस में लम्बित हैं। जब सरकार स्वयं महसूस करती है कि जमीन का बटवारा इसलिए नहीं हो पा रहा है कि बड़े-बड़े भूपति कोर्टस में चले जाते हैं तो आज यह जो विधेयक आया है, और जो बड़े-बड़े भूमि पतियों के खिलाफ है जो कोर्ट में चले जाते है, उन भूमि पतियों के ऊपर लगाम लगाने की आवश्यकता नहीं है ? मैं मंत्री जी से कहूंगा मिश्राजी बिहार के हैं और कानून मंत्री बिहार में गवर्नर रह चुके हैं, इनको मालूम है कि हमारे यहां बिहार में पूरनिया में एक अपील बाबू हैं उनके पास 20 हजार एकड़ जमीन है। लेकिन यदि पता लगायें कि किस के नाम है तो पता चलेगा बिल्ली, कुत्ता, घोड़ा के नाम जमीन लिखी हुई है और अपील बाबू के नाम केवल 18 एकड़ जमीन है।

इसी तरह से एक श्री रघुवंश नारायण सिंह कुरमेला हैं जो कांग्रेस के समर्थक हैं और बिहार में मंत्री भी रह चुके हैं उनके पास 18 हजार एकड़ जमीन है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो दोनों मंत्री डेरा खंडन कर सकते हैं। बांध गया में एक महन्त हैं जहां रोज गोली

(श्री राम विलास पासवान)

चल रही है और विद्यार्थियों और युवा संघर्ष वाहिनी के लोगों को नकसलाइट कह कर फंसाने का काम किया जा रहा है, उन महन्त के पास 13 हजार एकड़ जमीन है । सरकार से हम कहते हैं कि तो सरकार कहती है कि हमारे पास कानून नहीं है, लोग कोर्ट में चले जाते हैं और सरकार मजबूर हो जाती है । मैं सरकार पर चार्ज लगाता हूं, चाहे वह किसी दल की भी सरकार हो, यह भारत सरकार है और इसमें जो मंत्री लोग रहते हैं मंत्री बनते-बनते निश्चित रूप में उनके पास भी सम्पत्ति हो जाती है और जो सरकार के अधिकारी लोग हैं, आई० ए० एस० वगैरह उनके पास भी जमीन होती है, अतः जब दोनों के यानी मंत्री और अधिकारी के पास जमीन हो तो जमीन बटवारे का कानून कौन बनाये और उसको नवें शेड्यूल में लाये ? यदि उस समय सरदार पटेल और उस समय की सरकार ने जमींदारी अबालीशन न किया होता तो आज वह काम कभी नहीं हो सकता था ।

MR. DEPUTY SPEAKER : Is there not a Ceiling Act in Bihar ?

SHRI RAM VILAS PASWAN : There is land Ceiling Act in Bihar but this is on paper only everywhere.

यह जो 20 सूत्री कार्यक्रम है इसमें आन्ध्र-प्रदेश में 10 लाख 15 हजार एकड़ सरप्लस जमीन है, असम में 5 लाख 82 हजार, बिहार में 30 लाख एकड़, गुजरात में 1 लाख 34 हजार एकड़, हरियाणा में 30 हजार एकड़, हिमाचल में 2 लाख 4 हजार एकड़, कर्नाटक में 4 लाख एकड़, केरल में 3 लाख 50 हजार एकड़, मध्यप्रदेश में 2 लाख 57 हजार एकड़ महाराष्ट्र में 3 लाख 75 हजार एकड़, मणिपुर में 2 हजार, पंजाब में 2 लाख एकड़, राजस्थान में 7 लाख 94 हजार एकड़ तमिलनाडू में 2 लाख 4 हजार एकड़, त्रिपुरा में 4 हजार एकड़, उत्तरप्रदेश में 2 लाख 82 हजार एकड़, पश्चिम बंगाल में 1 लाख 72 हजार एकड़, दादरा नगर हवेली में 9 हजार एकड़, दिल्ली में 2 हजार एकड़ और पांडिचेरी में 3 हजार एकड़ सरप्लस जमीन है । इस बात का योग हो जाता है 52 लाख 48 हजार एकड़ सरप्लस लैंड । सरकार ने वर्ष 1982-83 में उपलब्धि का लक्ष्य 11 लाख 33 हजार एकड़ का बनाया था। । मैंने जब पार्लियामेंट में प्रश्न पूछा, प्राइम मिनिस्टर बैठी थीं, कि आपका क्या 20-सूत्री कार्यक्रम है और कितनी जमीन का डिस्ट्रीव्यूशन हुआ तो जवाब दिया गया कि 2 लाख एकड़ जमीन का वितरण हुआ । 11 लाख के लक्ष्य में 2 लाख एकड़ का वितरण हुआ और सरकार गर्व के साथ कहती है कि 20-सूत्री कार्यक्रम पूरा हो रहा है । इसीलिये मैंने कहा कि यह सरकार जवाब देती है कि जमीन का मामला कोर्ट में लम्बित है । आज गांव-गांव में झगड़ा हो रहा है । मैं जानता हूं कि जमीन का मामला हल हो जायेगा तो बहुत हरित क्रांति नहीं हो जायेगी, सबको रोजगार नहीं मिल जायेगा, लेकिन एक तरफ जहां लोग भूखे हैं, कुत्ता और आदमी एक ही रोटी के टुकड़े पर झपटते हैं वहां गरीब आदमी जमीन जोत नहीं सकता है । जिसके पास सारे दूसरे साधन हैं, उसको 20 हजार एकड़ जमीन अपने पास रखने का क्या अधिकार है ? एक तरफ हम नारा लगाते हैं कि जो जमीन को जोते-बोये, वही जमीन का मालिक है । जमीन उसके पास रहे जो जमीन को जोते, लेकिन नतीजा क्या हो रहा है कि जमीन उसी के पास है जो जमीन पर कभी पांव नहीं धरता । इसी कारण अनाज के मामले में हम आज भी विदेशों से अनाज ले रहे हैं । जो जमीन हमारे पास आज है, उसका हम उपयोग नहीं कर पा रहे

हैं। आज गांवों में इस नरह की गड़बड़ हो रही है।

आप पटना, नालन्दा, औरंगाबाद, बौध गया कहीं भी चले जाइये, हर जगह नक्सलाइट की बात कही जाती है। मुझे याद है 1970 में मैं एम० एल० ए० था, मेरे ऊपर नक्सलाइट का मुकदमा चला था मुझे बन्द किया गया था। क्यों बन्द किया गया था? इसलिये कि मैं जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहा था। जमीन की लड़ाई मैं किस के खिलाफ लड़ रहा था? अपनी ही पार्टी के एक एम० पी० के खिलाफ लड़ रहा था जो कि आजकल कांग्रेस में हैं। एम०एल०ए० होने पर भी हमारे खिलाफ नक्सलाईट का मुकदमा चलाया गया, इसी से आप समझ सकते हैं कि गांव का गरीब-हरिजन अगर जमीन के लिये लड़ाई लड़ता है तो उसके खिलाफ क्या होगा? पूंजीपति मिलकर क्रिमिनल के नाम से उसे एन-काउन्टर करवा देता था या उसको नक्सलाईट कहकर बन्द कर दिया जाता था।

(व्यवधान)

मैं अहिंसा नहीं चला रहा हूं, मेरा कहना यह है कि जहां जीने का अधिकार है वहां भूख से मरना भी पाप है। इसलिये मैं सरकार से आग्रह, अपील करुंगा कि इस तरफ घ्यान दे।

जो जमीन वितरित हुआ है उसका एक उदाहरण मैं रखूंगा और उपाध्यक्ष महोदय आप उसे सुनेंगे तो आपकी आंख से आंसू गिरेंगे। मैं पिछले दिनों कुचेसर स्थान गया था। यह श्री हरिनाथ मिश्र के बगल में ही एक पुराना जिला था। अब शायद दो जिले हो गये हैं। वहां हमारे सामने गोली चली और दो हरिजनों को गोली से उड़ा दिया गया। क्या हुआ गरीब को जमीन मिला था, उसने बड़े अच्छे तरीके से जोत-आवाद किया था, जोत-आवाद के बाद उस जमीन को किसी दूसरे के नाम पर लिख दिया। आपके कानून के मुताबिक जो जमीन दिया गया मजदूर को गरीब को उसको बेच दिया गया तो यह कोर्ट पर निर्भर करता है कि वह उसका फैसला करे। कोर्ट ने स्टे कर दिया, जिसके नाम से बेचा गया था। कानून इस तरह का है कि वह कलैक्टर के यहां जायेगा। कलैक्टर अगर स्टे कर दे तो वह मामला कमिश्नर के यहां चला जायेगा। कमिश्नर ने भी अगर कह दिया कि इस गरीब को सही पर्ची मिली है, तुमने बोगस बनवाई है तो वह मामला रैवेन्यु बोर्ड में चला जाएगा। रैवेन्यु बोर्ड के बाद वह मामला हाई कोर्ट में और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला गरीब के पक्ष में सुना दिया तो उसको कह दिया जाएगा कि तुमको जमीन का कब्जा नहीं देंगे। नतीजा यह होता है कि 144 धारा फ़िर शुरू हो जाती है। जब इस तरह से होगा तो थोड़ी सी जमीन के लिए कौन खून बहाएगा। यह स्थिति आजकल चल रही है।

हो यह रहा है कि आज जमीन किसी को मिल नहीं रही है। आप भले ही पेपर पर कह दें कि इतने लाख एकड़ जमीन बांट दी, हरित क्रांति कर दिया, गरीब के लिए बहुत कुछ कर दिया लेकिन जमीन का बंटवारा कहीं नहीं हुआ है।

आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि स्वर्गीय श्री जयप्रकाश नारायण जी ने जब आन्दोलन छेड़ा था तो हमने उनसे कहा कि क्यों इतनी क्रांति हो गई। उन्होंने कहा कि जब मैं मुसहरी गया तो मैंने सोचा कि मुजफ्फरपुर जिले में मुसहरी एक प्रखण्ड है। पूरा जिला दान करा दिया। गांव दान हो गया, प्रखण्ड दान हो गया, जिला दान हो गया, मैं सोच रहा था कि प्रान्त दान

(श्री राम विलास पासवान)

करा दूं । जब मुझे मालूम हुआ कि वहां नक्सलवादी एक्टीविटीज बढ़ी हैं, जब मैं वहां गया मुसहरी में तो मैंने देखा कि जो लोग जमीन दिए थे एक इंच जमीन भी उन्होंने नहीं छोड़ी थी । जब मैं गया उस आदमी के नजदीक और उससे पूछा कि भाई, तुमने जमीन क्यों नहीं छोड़ी तो वह कहता है कि फलां बाबू जमीन छोड़ेंगे तो मैं छोड़ूंगा, दूसरा कहता है कि वह बाबू जमीन छोड़ेगा तो मैं छोड़ूंगा । नतीजा क्या हुआ कि पेपर पर ग्राम दान से लेकर प्रान्त दान हो गया लेकिन जमीन के ऊपर एक इंच भी दान नहीं हुआ । इसलिए मंत्री महोदय से मैं कहूंगा कि आप इस यश को लीजिए। एक कानून मंत्री हैं और एक कृषि मंत्री हैं, आप दोनों से मैं निवेदन करुंगा कि जितने दिन तक इस मामले को लटकाए रखिएगा उतने ही दिन तक खून खराबी होगी और गांवों की एकता और आपस का उनका प्रेम टूटता चला जाएगा। ...(**व्यवधान**)...मैं तो तैयार हूं । जब मैं मिसा में होकर आया हूं तो नेशनल सेक्योरिटी ऐक्ट में क्या रखा है ? (**व्यवधान**) ... लेकिन अगली बार चलेंगे तो आप भी हमारे साथ रहियेगा क्योंकि जिस तरह का भाषण आप यहां देते हैं उसके बाद आपको भी हमारे साथ रहना होगा।

मैं सरकार से आग्रह करुंगा कि इसको आप नवम् सूची में रखिये । जो बड़े-बड़े पूंजीपति लोग हैं जिनके चंगुल बड़े चौड़े हैं उनके उस चंगुल को काटने का काम कीजिये इसमें आपके अफसर मदद नहीं करेंगे, बड़े-बड़े ओहदों पर बैठे हुये सेक्रेटरी लोग मदद नहीं करेंगे क्यों कि यह गरीब का काम होगा, अन टू दि लास्ट का काम होगा । इसलिये आप अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिये, अपने आप मेहनत करके चाहे जो भी बाधा आवे उसको दूर करते हुये इसको कीजिये ।

हमारे समय में कर्पूरी ठाकुर ने बहां से रेकमेंड करके भेजा था कि इसको नाइंथ शेड्यूल में डालिए । उस समय जनता पार्टी की सरकार थी, वह नहीं कर पायी । आप कहेंगे कि तुम्हारी पार्टी थी, वह क्यों नहीं कर पायी ? मैं इस विवाद में नहीं जाना चाहता । मैं यह कहना चाहता हूं कि आपके पास में राज्य सरकारों की भी सहमति होगी । यदि राज्य सरकारों की सहमति नहीं हो तो भी वर्तमान स्थिति को देखते हुए इसको नवम् सूची डालिए । गरीब के लिये इस छोटे से काम को कीजिये । इन्हीं शब्दों के साथ मैं बिल का समर्थन करता हूं ।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टसगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री एम०एम० लारेंस द्वारा प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं लारेंस साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बिल को प्रस्तुत किया । लेकिन जिस उद्देश्य से वह इस बिल को लाये हैं, जब वह बोल रहे थे तो कुछ राजनैतिक पुट उसमें दे रखा था, वह नहीं होना चाहिए था । उन्होंने कहा कि पिछले 35-36 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया । मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही नहीं, जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उसी समय आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रम स्वीकार किये थे और उसमें लेंड रिफार्म्स भी था । स्वतंत्रता के बाद भी मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें काफी काम हुआ है लेकिन यह लैंड रिफार्म्स का काम बड़ा कठिन काम है । आपने देखा कि कैसे आहिस्ता-आहिस्ता स्टेट्स टूटीं, जमींदारी खत्म हुई और छोटे-छोटे जो भू-स्वामी थे वह तोड़े गये । बाद में आपने देखा कि विभिन्न कांग्रेस अधिवेशनों में यह बात आई और कई राज्यों को निर्देश दिए गए कि वह अपने यहां भूमि सुधार का काम करें । आप देखेंगे कि विभिन्न राज्यों ने लैंड सीलिंग ऐक्ट

पास किया, जमींदारी विनाश ऐक्ट उत्तर प्रदेश में पास हुआ और और कई चीजें इस तरह की हुई।

लेकिन यह बात सही है कि जिस गति से भूमि सुधार की अपेक्षा की गई थी वह गति प्राप्त नहीं हुई। मैं आँकड़ों में नहीं जाना चाहता। भाई पासवान जी 20 प्वाइंट प्रोग्राम की जो हमारी किताब है उसी में से उदाहरण दे रहे थे। मैं पासवान जी से यह भी कहना चाहता हूं कि जहां तक हमारी प्रधान मंत्री का प्रश्न है आपने देखा कि पिछले 20 सूत्री कार्यक्रम में भी यह प्रोग्राम शामिल था और इस नए 20 सूत्री प्रोग्राम में भी इसकी वरीयता को देखते हुए चौथा स्थान इसको दिया गया है। यह कहा गया है कि खास कर छठी पंचवर्षीय योजना में जल्दी से जल्दी लैंड रिफार्म की कार्यवाही हो हदबंदी भूमि की हो, आबंटन हो और जो भी लिटिगेशन हैं उनको दूर किया जाय। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि सारी भावनायें हमारी हैं, हम काम करना चाहते हैं लेकिन समाज में जो कुछ मनोवृत्ति है समाज की वह इसे होने नहीं देती। हमारे भाई पासवान जी किसी के लिये कह रहे थे कि अमोन नाम है उनका, बड़ा अमूल्य नाम है, हिन्दुस्तान के कितने ही व्यक्ति उस विचार के हैं। यही नहीं कि वह बिहार की बात है या उत्तर प्रदेश की बात है या हरियाणा की बात है, यह हर जगह की बात है।

आज स्थिति यह है कि सीलिंग के अन्तर्गत जमीन प्राप्त नहीं हो पा रही है क्योंकि इसमें ऊंचे अधिकारी भी शामिल हैं, तहकीकात की जाती है लेकिन वे उसको सामने नहीं आने देते हैं। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि जो भी लोग इन कार्यक्रमों में हैं, उनकी नीयत साफ होनी चाहिए। साथ ही साथ आप डेवलपमेंट का काम भी चला रहे हैं। गरीबी की रेखा से नीचे जो 50 प्रतिशत लोग हैं, उनको भी सरकार ऊपर लाना चाहती है। अतः जो भी डेवलपमेंट का कार्यक्रम है, चाहे वह आई० आर० डी० पी० हो, एन० आर० ई० पी० हो, स्पेशल काम्पोनेन्ट प्लान हो या डी० पी० ए० पी० हो – ये प्रोग्राम तब तक सफल नहीं हो सकते हैं जब तक कि भूमि सुधार के कार्यक्रम को ठीक प्रकार से कार्यान्वित नहीं किया जाता है।

ऐसी स्थिति में हमारे सामने दो मुख्य प्रश्न हैं एक तो सीलिंग से भूमि प्राप्त करने की बात है। दूसरी बात यह है कि जो ट्राइबल एरियाज हैं, मैं स्वयं मिर्जापुर के ट्राइबल एरिया से आता हूं, इसी प्रकार से मध्यप्रदेश, बिहार, उड़ीसा, आंध्रप्रदेश में जो ट्राइबल एरियाज हैं वहां पर जमीनों के सम्बन्ध में बहुत गड़बड़ी है। ट्राइबल एरियाज में परम्परागत रूप से जो कन्सेशन्स लोगों को मिल रहे थे, उनसे उनको वंचित किया जा रहा है। जो आदिवासी जंगलों के निवासी थे, उनको सरकार की नयी नीति के कारण उजाड़ा जा रहा है। मैं मिर्जापुर की बात आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर ट्राइबल एरियाज में भूमि सुधार की कार्यवाही नहीं हो सकी है, भूमि के सेटिलमेंट का काम नहीं किया जा सका है। फारेस्ट कंजर्वेशन ऐक्ट को 1980 में पास करके और उसकी धारा (420) को प्रकाशित करके उन लोगों की जमीनों को आपने अपने पास लेने का प्रयास किया, जहां पर कि उनके घर हैं, मकान हैं और उनके खेत हैं। मैं पिछले तीन-चार सालों से इस बात को कह रहा हूं लेकिस जंगल विभाग के अधिकारियों ने उन आदिवासियों को मारा-पीटा और जेल में डाल दिया। मजबूर होकर मैंने सुप्रीमकोर्ट में एफिडेविट दी, उन लोगों की रक्षा के लिए, और मुझे इस बात को कहते हुए

(श्री राम प्यारे पनिका)

प्रसन्नता है कि सुप्रीमकोर्ट ने स्टे-आर्डर दिया है और कहा है कि मिर्जापुर के जो आदिवासी किसान हैं, उनको इस प्रकार से न हटाया जाए। इसी तरह की बातें मध्यप्रदेश, उड़ीसा आदि प्रदेशों में भी हो रही हैं, ट्राइवल्स के हक छीने जा रहे हैं। इसके कारण उनमें घोर असंतोष पैदा हो रहा है।

इसलिए मेरा आग्रह है कि जहां तक लैंड रिफार्म्स की बात है, बड़े-बड़े किसानों के पास जो हजारों एकड़ जमीन है, उसने नियमानुसार लेकर भूमिहीनों में बांटा जाना चाहिए और उनको उसका कब्जा दिलाया जाना चाहिए। बहुत सी जमीनें जो बांट भी दी गई हैं उन पर उनको बड़े लोग जोतने नहीं दे रहे हैं, कहीं किसी भी कोर्ट से स्टेआर्डर ले आते हैं। आपको यह बात भी सोचनी पड़ेगी कि क्या जुडीशियरी को इस प्रकार से स्वतन्त्र रहने दिया जाए। मैं आलोचना नहीं करना चाहता लेकिन हकीकत यह है कि वकील लोग उनसे मिलकर दलाली कर रहे हैं। हाईकोर्ट की बात मैं नहीं करता, वहां पर आपने अच्छे जज रखे हैं लेकिन नीचे के स्तर पर जो कोर्ट्स हैं उन पर आपका कोई कन्ट्रोल होना चाहिए। आज की बदलती हुई परिस्थिति में मुंसिफ और मैजिस्ट्रेट भी पैसा कमाना चाहते है, वकीलों के माध्यम से वे पैसा लेते हैं। मैं अपने यहां की बात कर रहा हूं कि नीचे के लेविल पर गरीबों को कोई न्याय नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इन सारी बातों को सोच करके अमेन्डमेंट लावे। जमीन के मसले के लिए सरकार पूरे देश के लिए अधिकार प्राप्त कमीशन की स्थापना करे।

आपने जमीन को स्टेट सब्जैकट बना रखा है, लेकिन आप जानते हैं कि हर बात के लिए जनता ऊपर की ओर देखती है, इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि आपको कोई न कोई ऐसा कार्यक्रम करना पड़ेगा, जिससे सारे देश में एक रूपता आ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं पर किसी किसान के पास बीस हजार एकड़ जमीन हो और दूसरी तरफ लाखों करोड़ों लोगों को जमीन पर घर बनाने के बजाए, उनको जमीन न मिले। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यदि इन सब कार्यों को करने में देरी है, तो आप निश्चित तौर से मेरी सूचना को आधार मानकर कोशिश करें। यह सही है कि हमारे देश के लिए जंगल बहुत जरूरी है, इसका मतलब यह भी नहीं है कि जिस जमीन पर इन्सान खेती कर रहा है, झौंपड़ों डाले हुए हैं, उसको वहां से उठा दिया जाए। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं 1962 में एम० एल० ए० बना था, इस सम्बन्ध में मैंने बहुत से अमेंडमेंट करवाए हैं। कानून बदलवाए है अधिकारी कागज और फाइल के चक्कर में ही पड़े रहते हैं, उनको इन्टरैस्ट वहां नहीं होता है। उनका मकसद यही होता है कि यह मसला हल न हो। यदि यह चक्कर तय हो जाएगा, तो उनको पैसा कौन देगा। सैटलमेंट में गड़बड़ी करते रहते हैं। मैं समझता हूं कि यह मसला दो तरफा है—एक तरफ सीलिंग की जमीन का प्रश्न है, दूसरी तरफ ग्रामसूची और सरकार का प्रश्न है। आज हम कन्जरवेशन एक्ट पास करते हैं। यह निश्चित है कि जंगल का रकबा बढ़ाना चाहिए, लेकिन जहां जंगल हों, वहीं। लेकिन जहां पर जंगल नहीं है, वहां किसानों को क्यों लूटा जाए। इसलिए मैंने ये दोनों बातें कही हैं। मुझे उम्मीद है माननीय मन्त्री जी इस मौलिक प्रश्न पर विचार करेंगे। मैं इस बिल के प्रस्तुतकर्ता को धन्यवाद देता हूं, लेकिन जब वे अपने विचार व्यक्त कर रहे थे, उन्होंने कुछ बातें ऐसी कहीं हैं, जिनसे मैं सहमत नहीं हूं। ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस इस काम

को नहीं करना चाहती है, असल में कांग्रेस ही है, जिसने इस काम को पूरा करने की कोशिश की है।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*SHRI NIRMAL SINHA (Mathurapur): Mr. Deputy Speaker, Sir, I rise to support this Constitution Amendment Bill brought forth by Shri Lawrence. The Congress Party had given an assurance to the people before independence that after coming to power and forming the Government, they will under take radical land reforms, they will put an end to the zamindari and jotedari system, they will confiscate all the land without any compensation and will distribute the land among the landless agriculturists. But it is a matter of shame and regret that today, after long 36 years of independence this sort of Bill has to be brought before the House with a wiew to plug the loopholes in the enactments which have already been passed but could not be fully implemented because of inherent flaws in them. The Congress Government has given their assurance to implement the provisions in the Constitution. But how long will they take to implement them, that is a matter for concern. Sir, in this context I will like to quote from the peamble of our Constitution which says, "We, the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic Republic and to secure to all its citizens: Justice Liberty, Equality and Fraternity." etc. Sir, they talk about socialism but even in the simple enactments regarding land reforms, which does not generate radical land reforms, some loopholes have been kept by various State Governments. So that even these could not be effectively implements. I feel that such loopholes were intentionally kept in those enactments because there was lack of sincerity and honesty and was meant only to foll the masses. Now today after such a long time this Bill has to be brought before the House to plug those loopholes. It is a matter of shame. I do not know what is their definition of socialism. socialisn simply means abolition of private property, Socialisation of the means of production and proper distribution of the produce keeping the interest of the people in view. But Sir, socialism is a far cry, even the simple legislations regarding land reforms has not been implemented which by no means constitute radical land reforms, because huge amount of land has been left in a few hands of big zamindars and Jotedars through fixation of ceilings etc., and this has been given legal recognition. Only the remaining excess land acquired after all these, is to be distributed among the landless. Even this simple legislation could not be fully implemented till this day. This is indeed a matter of sorrow and regret.

Sir, our Constitution assures justice, liberty, equality and fraternity. In this context I want to say that after 36 long years we find that land has got concentrated in a few hands in person's own names and through extensive 'Benami' transactions. 3% people own 26% of available land in our country. These 3% own over 10 hectares of land each This is not my statement. This has been stated in the survey report of the Reserve Bank of India. Everybody knows how much land is owned by people in their own names and in 'Benami'. Therefore we find that in the field of agriculture, disparity is fast increasing with the passage of time. In every successive census figures we find that the number and percentage of landless agricultural labourers is increasing. Far from equality, disparity is constantly increasing. Disparity is also growing in the industrial field. A few monopolists and industrialists have assets over 1500 crores of rupees. This staggers our imagination.

About liberty Sir, the masses of India have only the liberty to die of starvation and to bear the miseries of life silently. They have no other liberty.

Sir, everybody must have the right to work. In our country the unemployment problem has assumed grave discussions and the solution of that problem appears to be beyond our reach. In the socialist countries 'Right to work' has been enshrined as a

*The orginal Speech was delivered in Bengali

(Shri Nirmal Sinha)

fundamental right. I am quoting from the Soviet Constitution in this context. It says :

> "Citizens of the USSR have the right to work (that is, to guaranteed employment and pay in accordance with the quantity and quality of their work and not below the State-established minimum), including the right to choose their trade or profession, type of job andwork accordance with their inclinations, abilities, training and education, with due account of the needs of the society."

Sir, you take the Constitution of China, another socialist country. Article 48 the of says as follows :

> "Citizens have the right to work. To ensure that citizens enjoy this right, the State provide them employment in accordance with the principle of overall consideration, and, on the basis of increased production, the State gradually increases payment for labour, improves working conditions, strengthens labour protection and expars collectvie welfare."

In our Constitution in the Directive Principles of State Policy. Article 41 states as under :

> "The State shall, within the limits of its economic capacity and development, make effective provision for securing the right to work to education and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement, and in other cases of undeserved want".

Therefore, Sir, according to our Constitution our State does not have any responsibility to provide work to everybody. As a result of this we find that the unemployment problem is getting more serious day by day. There is no provision for old age pension agricultural labour also. The West Bengal Government within their limited resources, have provided for some old age pension for the agricultural labour and small agriculturists. But without any assistance from the Central Government it is not possible to extend that scheme or even to continue it.

In our country there is no arrangement for extending help in cases of disablement or sickness. Sir, in the context of 'right to work' I will like to narrate, with regret, my first experience in this House during the last Budget session. The general secretary of the ruling party brought a private members, resolution before this House which said, "Right to work should be a fundamental right and that should be included in the Constitution." All hon. Members from both sides who spoke on their resolution placed their well judicious and logical views in support of that resolution and recommended that 'right to work should be accepted as a fundamental right and included in the Constitution. And the Constitution should be amended accordingly. But the matter of regret is that at the end of the discussion when the concluding reply was to be given the mover of the resolution vanished and could not be found. At the time of voting also, the members of the ruling party pressed the red button and voted against the resolution. All those from the ruling party who supported it in their speeches, opposed it in their voting. The Ruling party tabled the resolution itself pressed the red button and opposed it. I have got an apprehension that though speakers from the ruling party during their speeches supported this Bill the same thing will be repeated today in the case of this Bill also. Those loopholes in the land reform legislation have been intentionally kept to hoodwink and fool the people and the State Governments have shown a lack of honesty in this regard. Therefore this amendment is very essential and it should be included in the 9th Schedule of the Constitution. Sir, I have been elected from a reserved constituency. Here also I hear many sympathetic words being said about the scheduled castes and tribes. So far so good. But most of the people, why most, all the people who are involved in the production process in every field of our country, who produce wealth but himself does not enjoy any benefit of that production, such neglected exploited and downtrodden people belong to scheduled castes and the Harijans. Therefore just by providing

a few reserved seats or providing a few reserved posts for them in the services, it is not possible to bring about a betterment of their lot. I feel that it is not possible to effect any upliftment of their status and condition till the means of production are socialised or nationalised and the produce is properly distributed for their benefit. All those engaged in the process of production must be provided with economic security. without these any betterment of the scheduled castes as a whole is not possible.

Providing a few seats and a few jobs for the scheduled castes is only meant for fooling them and catching their votes. This also results in a division in their ranks by creating an opportunistic section among them.

If the Government is sincere for the improvement in the lot of scheduled castes then at first radical land reforms must be done. All the lands must be immediately distributed among the poor landless labourers who are involved in the production and they must also be given financial assistance by the Government so taht they may achieve more and better production.

Sir, I hear many sympathetic things being said here about the minorities also. But we have seen in Mainpuri in U.P,, in Bihar, in Madhya Pradesh that whole villages were surrounded and members of scheduled castes and tribes were burnt down in hundreds. Similarly we have seen in Assam also that practically at the same time over 2000 people belonging to the minority communities were killed. Here also we find that communal harmony is missing. We also know that all those unfortunate people who are victims of such atrocities are economically backward and socially degraded. Only if these people can be economically and socially rehabilitated, they will be able to escape such in human atrocities on them. Otherw se no Government machinery can provide protection to the minorities all the time. Sir, to achieve equality justice, fraternity, secularity etc., socialism has got to be established in our country. But it is a matter of regret that in long 36 years the ruling party has not only not advanced towards socialism last-they are rather advancing backwardness. In Mathematics I can say that it will take on years to reach socialism as on tends to (infinity). That is with the present attitude you will never achieve socialism. Sir, I feel that if the present problems of our country is to be solved, if the unemployment problem is to be solved, then at-first radical land reforms should be done immediately. All the loopholes in the land reform acts must be immediately plugged and all those legislation which will emanate from the centre or the State legislatures to protect the rights of the poor landless agriculturists must be included in the 9th Schedule.

In this context I will like to mention one thing more, Sir. Our West Bengal Government passed the second land reforms Bill and forwarded it to the Centre for the President's assent. A long time has elapsed and President's assent has not been forthcoming. Now, we hear that it has been sent back. I will request that the Bill may be recalled and assent given thereto. Sir, I conclude with the demand that fresh Bills should be introduced by the Government to lower the existing land ceiling and the surplus land thus found should be distributed among the poor landless agriculturists, the sharecroppers etc. These people should be provided with financial assistance also in the interest of more and better production. With that Sir, I conclude.

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : आदरणीय उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य श्री लारेंस ने संविधान की धारा 31-बी में संशोधन करने के लिए जो विधेयक पेश किया है, उसका मंशा यह है कि संविधान की धारा 31-बी को भारतीय संविधान की सूची नम्बर 9 में सम्मिलित किया जाए। इस विधेयक के पीछे जो भावना है, वह बहुत ही अच्छी है और उसका मैं स्वागत करता हूं। मुझे खुशी उस दिन होगी जब इस तरह का विधेयक माननीय मंत्री जी की तरफ से पेश किया जायेगा क्योंकि मैं समझता हूं इस विधेयक से इस देश के

(श्री चन्द्रपाल शैलानी)

करोड़ों शोषित सर्वहारा, पीड़ित और दलित जनता का लाभ हो सकता है। हालाकि, हमारी सरकार ने देश के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की स्कीमें बनाई हैं उनमें भूमि सु और भूमि का आवंटन भी । जहां तक हमारे विपक्ष के सा थयों ने इस पर विचार प्रकट किए हैं उसमें केवल पार्टी बन्दी बीच में आई है और केवल कांग्रेस सरकार को दोषी ठहराया गया है कि यह मरकार शोपित, पीड़ित जनता को आर्थिक और सामाजिक न्याय दिलाने की दिशा में कोई कदम नहीं उठा रही है। उसका मैं खण्डन करता हूं और घोर निन्दा करता हूं। अभी हमारे साथी श्री पासवान जी कह रहे थे कि अमुक साहब के पास बीस हजार एकड़ ज़ीमन है और बोध-गया के महन्त के पास 13 हजार एकड़ ज़मीन है और अन्य आदमियों के नाम गिनाए जिनके पास हजारों की तादाद में ज़मीन है। केन्द्र में भी करीब ढाई साल विपक्ष की सरकार रह चुकी है और इस देश के अनेक राज्यों में विपक्ष की सरकारें रह चुकी हैं। जहां तक बिहार का सवाल है, बिहार में तो एक बार नहीं अनेकी बार विरोधी दलों की सरकार रही है। उस वक्त उनका कानून कहां गया था ? उनकी भावना कहां गई थी ? उस वक्त उन्होंने बोध-गया के महन्त से या जिनके पास हजारों एकड़ ज़मीन है उसको गरीबों में क्यों नहीं बटवाया ? इसका इनके पास क्या जवाब है ? यह बात सही है कि जिस रफ्तार से भूमि सुधार होना चाहिए और आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र में गरीब और शोपित सर्वहारा वर्ग के लोगों को जो न्याय मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पा रहा है ? चाहे हमारी पार्टी के लोग कहे या विरोधी पक्ष के, यह बात सही है और इससे इन्कार नहीं किया जा सकता हैं। इसमें कोई दो रायें नहीं हैं।

संसद और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा भूमि के सम्बन्ध में जो कानून बनाए जाते हैं, गरीब और मजदूरों के हित में जो कानून बनाए जाते हैं, उनको लागू करने में विलम्ब होता है और अगर यह कहा जाए कि किसी हद तक वे लागू भी नहीं किए जाते हैं, तो इस में भी कोई शक वाली बात नहीं है। इस मामले में हमें गहराई से जाना पड़ेगा, गम्भीरता से सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इसका कारण क्या है। राजनीति से ऊपर उठ कर हम को इस बात का विचार करना होगा। जिस ज़मीन पर झगड़ा होता है, खेत पर झगड़ा होता है, यह सही बात है कि हम में से बहुत से साथी हैं जो सबल वर्ग के हैं या जो जमींदार वर्ग के है, जो भूमि पति हैं, वे प्रशासन और शासन में दखल रखते हैं और वह चीज़ ठीक नहीं हो पाती है। यह बात भी आड़े आती है।

छोटे किसनों को सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाने के लिए जो कानून बनाए जाते हैं उन पर अमल नहीं हो पाता। संविधान में हमने अपना लक्ष्य समाजवाद घोषित किया है। समाजवाद के रास्ते पर चल कर हम कितना आगे बढ़े हैं, समाजवाद के क्षेत्र में हमने कितनी तरक्की है और कितनी करनी बांकी है, यह भी सोचने वाली बात है। क्या हमने समाजवाद लाने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं या जो लोग समाजबाद लाने में अथवा गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाने में आड़े आते हैं, उनके खिलाफ कोई ठोस और प्रभावी कदम उठाए हैं ? मैं निवेदन कर चुका हूं कि कांग्रेस की सरकार 1947 से पहली से रही। बीच-बीच में अनेक राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनीं। कुछ दिन के लिए केन्द्र में भी बनी। किस को दोषी ठहराया जाए ? ज़मीन की सही बटवारा जो नहीं हुआ है या हमारी प्रधान मंत्री जी के

बीस सूत्री कार्यक्रम में जिस जमीन का आवंटन हुआ है उस पर भी लोगों को क्ब्ज़ा नहीं करने दिया जा रहा है तो इसके आड़े कौन आता है ? मैं समझता हूं कि बड़े-बड़े अफसर आड़े आते हैं, बड़े-बड़े राजनीतिज्ञ आते हैं। इसके सम्बन्ध में दो तीन बातें क ह क़र मैं अपनी बात को समाप्त कर दूंगा।

हमने सीलिंग एक्ट बनाया। उस में भूमि की सीमा निर्धारित की गई। हमने कहा कि इस सीमा से ज्यादा जमीन किसी व्यक्ति के पास नहीं रह सकती। इसके बावजूद भी उससे कई गुना ज्यादा ज़मीन लोगों के पास है। फर्जी नामों से लोगों ने जमीन ले रखी हैं। नौकरों, रिश्तेदारों, मित्रों के नाम से ले रखी है। इस सब की छानबीन होनी चाहिये। हमें देखना होगा कि कौन उन ज़मीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं और जो सही मालिक है वही उसकी आमदनी लेते हैं या वे लेते है जो सही रुप से उनके मालिक नहीं हैं।

भूमि सुधारों को सही और प्रभावी रुस से लागू करने की बात को आप लें। इनको लागू करने में पटवारी जिस को आज की भाषा में लेखपाल कहा जाता है उससे ले कर तहसील-दार तक — मैं गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं — सब से ज्यादा आड़े आते हैं। कहीं कहीं पर एस डी एम और क्लैक्टर भी इस मामले में विशेष दिलचस्पी नहीं लेते। आपको सुन कर ताज्जुब होगा कि इतनी कम तनख्वह लेते हुए भी आज पटवारी मिनिस्टर से अच्छे मकान में रहते हैं, अच्छे स्कूलों में उनके बच्चे पढ़ते हैं, अच्छे साधन उनके पास हैं। लेखपाल बड़ा मामू ली सा मुलाजिम राज्य सरकार का होता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का होता है। मैं समझता हूं कि भारत सरकार की तरफ से ऐसा र्क्युलर या डायरेक्टिव राज्य सरकारों को आना चाहिये कि वे एक विशेष विभाग या सेल अपने यहां खोलें जों यह देखें कि इस क्षेत्र में कितना काम दिया गया है, किन लोगों के पास कितनी ज़मीने है, ज़मीनों का जो बटवारा हुआ है और जिन के नाम हुंआ है, क्या उनको उन ज़मीनों का बज़ा मिला है या नहीं मिला है। हम देहात में रहते हैं। हमारा सीधा सम्बन्ध गांवों की जनता से है। उससे हम वोट लेते है। उसके सम्पर्क में रहते है। उनके बीच में जब हम जाते है तो हमें उनके दुख और दर्द का पता चलता है। यह भी सही है कि इसमें कहीं कहीं कानून और अदालतें भी आड़े आती है। मैं समझता हूं कि सब से जरूरी यह चीज़ है कि इस का सर्वे कराया जाए और एक अलग से इसके लिए विभाग स्थापित किया जाए जो केवल ज़मीनों के मामलों को देखे। ज़मीन का मामला एक असे से चला आ रहा है।

17.00 hrs.

और अभी तक सही मानों तो ज़मीन उन्हें नहीं जाती है जो उस पर पूरे परिवार के साथ जाड़ा, गर्मि और बरसात में काम करते हैं और इन बेचारों को इतना ही मिलता है कि वह केवल जीवित रह सकें, जब कि पूरा लाभ भू-स्वामी को जाता है। जब कि होना यह चाहिये कि ज़मीन का मालिक वही हो जो उस पर हल चलाता हो, मजदूरी करता हो, फसल पैदा करता है, खेत में पानी और खाद देता है। लेकिन हो इसके बिल्कुल विपरीत रहा है। ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनके पास अपनी ज़मीन है, और अगर है कि तो थोड़ी मात्रा में ही है और वह लोग करते क्या हैं कि उस थोड़ी सी भूमि को किसी को पट्टे पर या बटाई पर दे कर अपनी आजी विका कमाने के लिए शहरों में काम करने के लिए आ जाते

(श्री चन्द्रपाल शैलानी)

हैं। कम से कम इन गरीबों के पास इतनी ज़मीन तो हो कि उसको जोतने के लिए हल, बैल रख सकें और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। दूसरी तरफ जिनके पास काफ़ी ज़मीन है वह खेत पर काम नहीं करते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं कि खेती कैसे होती है। अतः इन सब बातों का पता लगाया जाना चाहिये और लोगों के साथ इन्साफ़ करना चाहिये।

यह जो अव्यवस्था चल रही है। और ज़मीनें हड़प रखी है उनके खिलाफ़ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। आखिर वह कौन लोग हैं? अगर हम देखते हैं कि इसमें नौकरशाही या राजनीति आड़े आ रही है, या लठबाज़ लोग हैं जो गरीबों पर जुल्म करते हैं उनके लिये सरकार को ऐसा इंतजाम करना चाहिये जो प्रभावी और ठोस हो।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी बात सुनी।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोज़ाबाद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संविधान संशोधन विधेयक जी माननीय लोगों ने सदन में रखा है उसके उदेश्य और कारणों में उन्होंने बताया है:

...परन्तु यह संरक्षण सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करने हेतु बनाये गये भूमि सुधारों और भूमि के सर्जन के संबंधित कानूनों पर लागू नहीं होता है। प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य ऐसे सभी कानूनों को अनिवार्यतः नवम अनुसूची में संम्मिलित करने का उपबंध करने के लिये है, ताकि हमारे संविधान में प्रतिपादित हमारी व्यवस्था के मूल उद्देश्यों की प्रति की जा सके।

समाजवाद और लोकतंत्र की बात। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आजादी की लड़ाई के जमाने में भी ज़मींदारी अबालीशन की बात चलती थी और कहा जाता था कि ज़मीन जोतने वाले की ही होनी चाहिये और सरकार भी लम्बे अर्से से इस बारे में बयानबाज़ी करती रही। मैं 1976 की कार्यवाही देख रहा था उस वक्त संविधान संशोधन के किसी बिल पर बहस के दौरान सरकारी पक्ष के लोगों ने वकालत की थी 31 (बी) के बारे में और नवें शेड्यूल के लिये कि भूमि सुधारों के लिये यह संशोधन अनिवार्य है। ऐसी हालत में यह संशोधन तो सरकार द्वारा ही लाना चाहिये था न कि माननीय लारेंस को। पार्लियामेंट या विधान सभाओं में लैंड रिफ़ार्म के बारे में जो कानून पास हुए उनको सुप्रीम कोर्ट में चलेंज किया गया। कहा गया है कि वह संविधान की मूल धारा, फडांमैंटल राइट्स का प्रश्न है, इसलिए इसे लाइटली नहीं लेना चाहिये। आप लैंड रिफार्म की बात करते हैं, एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि सरकार को यह करना चाहिये, वह करना चाहिये, सरकार भी कहती है कि हमारे आड़े कहीं न कहीं कानून आ जाता है, संविधान कहीं न कहीं दिखाई देने लगता है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि लम्बे समय से जिस चीज की जरूरत है, हालात ऐसे बता रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं।

मैं कहना चाहूंगा कि 1981 में एक मिलियन एकड़ जमीन के सम्बन्ध में केस पेंडिंग थे कोर्ट में। आश्चर्य की बात है कि आन्ध्र में 70 हजार एकड़ जमीन के बारे में केस चला रहे थे। जब यह कह सकते हैं कि 63 मिलियन एकड़ जमीन हमारे पास सरप्लस है प्लानिंग विभाग ने कहा कि 23 मिलियन है, रेवेन्यु वाले कहते हैं कि 4,5 मिलियन थी, कुछ बांट दी और

कुछ रह गई है तो सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या आप लैंड रिफार्म करेंगे ?

जहां तक मार्जिनल और छोटे किसान का सम्बन्ध है, बेचारे अन-टचेबल लोगों की बात है, पिछड़े और वीकर सैक्शन के लोगों की बात है, उनके लिये आपने बहुत से ला दिये होंगे लेकिन इम्पलीमैंटेशन का जब प्रश्न आ जाता है तो आप एक बात से बच जाते हैं कि हमने तो आपके लिये सब कुछ किया लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए हैं। इस बिल में साफ एक ही शब्द है कि आप संशोधन लाइये। इससे ऐसा कार्य आप करेंगे कि जिस समाजवाद के लक्ष्य को आप प्रतिपादित करना चाहते हैं, बारबार उसके बारे में कहा गया है, उसे असली जामा पहनाने की आवश्यकता आज हो गई है। यह संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

एक विचार गोष्ठी में एक चीफ जस्टिस के शब्द मैं बता रहा हूं। उन्होंने कोर्ट में यह नहीं कहे। उन्होंने कहीं न कहीं अनुभव किया है उन्होंने अपनी स्पीच में कहा है कि कुछ लोगों का दिमाग बना हुआ है कि लैंडलैस लेबरर्स जिन्दगी भर जोतते रहें और इससे जो लाभ हो वह खुद हड़प कर जायें। यह मेरी बात नहीं है, यह एक चीफ जस्टिस की बात गोष्ठी में कही हुई है। अखवार वालों ने भी उसे कोट किया।

वीकर सैक्शन की और समाजवाद की बात लारेंस साहब ने कही है लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आप कितना ही लैंड रिफार्म कर लें, शहरों में भी आप तमाशा देखते होंगे। शहरों में सैकड़ों कोठियां हैं। आपने देखा होगा कि एक-एक सज्जन के पास कई कई कोठियां है और एक साहब ऐसे होते हैं जिन्हें कहीं किराये का कमरा भी नहीं मिलता। आप अर्बन सीलिंग की बात करते हैं, लेकिन वीकर सैक्शन, जो मजदूर गरीब लोग हैं वह यहां भी रहते हैं उनके बारे में भी सोचने की बात है। अगर आप सारे मुद्दों पर गौर से विचार करेंगे तो फिर आपको घूम-फिरकर वहीं आना पड़ेगा। माननीय मंत्री भी इस बात को सदन में कह चुके होंगे और आने वाले दिनों में भी कहेंगे। पिछले दिनों से अखबारों में भी चर्चा हो रही है कि सरकार इस सम्बन्ध में कोई संशोधन ला रही है। मैं अनुरोध करूंगा कि सरकार को इसमें अविलम्ब संशोधन लाकर एक सही रास्ता अग्रसित करना चाहिये। आपने एमर्जेन्सी में बड़ी बातें कहीं थी, तब तो आपके कामों पर सन्देह था, लेकिन अब आप जरूर लाइये, हम आपका स्वागत करेंगे।

श्री रामसिंह यादव (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्र की प्रगति, राष्ट्र की आर्थिक नीतियों पर आधारित है और राष्ट्र की आर्थिक नीति का निर्धारण करने के सम्बन्ध में संविधान के निर्माताओं ने उसमें मौलिक रूप से हों निदेश दिए हैं, डेमोक्रेटिव प्रिंसिपल्स के रूप में, जिनके आधार पर हम आर्थिक नीतियों का निर्माण कर सकते हैं। प्रश्न यह है उन सिद्धांतों पर अमल करने का उत्तरदायित्व केवल कांग्रेस सरकार पर या कांग्रेस दल पर नहीं, बल्कि इस देश की जनता ने विभिन्न राजनीतिक दलों को दिया है। उन राजनीति दलों ने किस-किस प्रान्त में किस-किस प्रकार से इन सिद्धांतों को कार्य रूप में परिणत किया है। इसी सन्दर्भ में मैं निवेदन करूंगा हमारे राष्ट्र के प्रथा प्रधानमन्त्री, पं० जवाहर लाल नेहरू ने इसी सदन में, जब व्यक्तिगत सम्पत्ति से सम्बन्ध में बहस हो रही थी, कहा था कि थाई हैव नो सेंस आफ प्राइवेट प्रापर्टी। जहां पर इस तरह के मानव मूल्य और इस तरह के आदर्श हों और उन्हीं आदर्शों पर चलने वाली हमारी संस्था हो, उसके बारे में

(श्री राम सिंह यादव)

विरोधी दल के लोगों ने जो इस तरह की शंका व्यक्त की है, मैं समझता हूं वह निराधार और निर्मूल है। जाहिर है कि सन् 1976 में यह कांग्रेस सरकार थी, श्रीमती इन्दिरा गांधी की, पिछले संविधान में 42वां संशोधन देश के सामने रखा और वह अपने आप में एक युगान्तरकारी परिवर्तन था। आर्थिक दृष्टि से वह एक ऐसा कदम था जिसकी आप सभी लोगों को, सभी राजनीतिक दलों को और राष्ट्र के समस्त नागरिकों को प्रशंसा करनी चाहिए थी। लेकिन मुझे खेद है कि 1977 में जनता पार्टी और लोकदल की सरकार जब यहां केन्द्र में शासन में आई तो उसने उसके बहुत से प्रावधानों को दूसरे संविधान संशोधन के माध्यम से उसमें से हटा दिया। आपको मालूम है इस संविधान के प्रिएबिल में सबसे पहले सोशलिस्ट शब्द का समावेश करने का श्रेय हमारे दल को और हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी को है। इस संविधान में सबसे पहले आर्टिकल 43(ए) का समावेश करने का श्रेय भी हमारे दल को और हमारे नेता को है। इसी तरह आर्टिकल 31(बी) और (सी) का भी समावेश करने का श्रेय हमारे दल और हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी को है। मैं पूछना चाहता हूं कि 1977 से 1980 तक आपको जो एक अवसर मिला था और जो आप कह रहे थे कि हम देश की आर्थिक नीति में एक युगान्तरकारी और आमूलचूल परिवर्तन लाना चाहते हैं, उस दिशा में आपने कौन सा सशक्त कदम उठाया जिसको आज आप बता सकें? माननीय सदस्य लारेंस साहब यह कह रहे थे कि यह बहुत प्रगतिशील विधेयक है। इसका समावेश होना चाहिए। हम यह नहीं कहते कि यह प्रगतिशील नहीं है। हम कहते हैं कि हम प्रगति की ओर जाना चाहते हैं और देश को प्रगति की ओर ले जाना चाहते हैं और हमारी आर्थिक नीतियों में या हमारी देश की अर्थ-व्यवस्था में यदि कहीं अभाव और असमानता है तो उस असमानता को हम दूर करना चाहते हैं। किन्तु प्रश्न यह है कि जो सरकार की नीतियां हैं और सरकार जो उनकी क्रियान्विति करना चाहती है उसमें आप लोगों का और विपक्ष के माननीय सदस्यों का कितना सहयोग है? केरल में हमारी सरकार जिस समय थी उस समय भी उसने उसी तरह के प्रगतिशील कदम उठाए चाहे वह लैंड रिफार्म्स के सम्बन्ध में थे, चाहे आम मजदूर और जन-साधारण की उन्नति के सम्बन्ध में थे। यही वेस्ट बंगाल में जो हम लोगों ने नीतियां शुरू की थीं उसमें आप कितना आगे बढ़ सके हैं? आपने केवल वहां के लोगों के मन में आशंका और भय पैदा किया है, उनके बनोबल को गिराया है। केरल और वेस्ट बंगाल में कृषि उत्पादन कितना बढ़ा है? क्या कारण है कि राजस्थान जैसे प्रान्त में कृषि उत्पादन इतना अधिक बढ़ा है लेकिन इन प्रदेशों में आपकी नीतियों के कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि नहीं हो सकी? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? केन्द्रीय सरकार तो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, आप ही जिम्मेदार हैं। हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 1977 तक बीस सूत्री कार्यक्रम चलाया था और अब नये बीस सूत्री कार्यक्रम में यह बात रखी गई है कि भूमि का आवंटन सही प्रकार से होना चाहिए और यह काम चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा होना चाहिए। इसी प्रकार ने गरीबी की रेखा के नीचे जो लोग हैं, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनमें, मैं जानना चाहूंगा कि उन प्रान्तों में जहां विरोधी दलों की सरकारें हैं, उन्होंने क्या सहयोग दिया है? क्या आप यह नहीं समझते कि बीससूत्री कार्यक्रम उन्हीं लोगों के लिए है जोकि समाज में आर्थिक

दृष्टि से पिछड़े हुए हैं ? केवल एक ही दिशा में काम करने से देश की प्रगति नहीं हो सकती है । सीलिंग ऐक्ट के अन्तर्गत भूमि का अधिग्रहण करके उसको आवंटित किया जाना चाहिए । उस ऐक्ट में यदि कोई कमजोरियां हैं तो उनको दूर किया जाना चाहिए । मैं जानना चाहूंगा कि 1977 से 1980 तक पंजाब में किसकी सरकार थी ? उस समय के पंजाब के मंत्रियों के पास कितनी जमीनें थी ? मैं समझता उस समय सबसे बड़ा भूपति पंजाब का एक मंत्री क्या उस समय आपने इस कानून को लागू किया ? आप करते हैं कि आप प्रगतिशील है और समाजवाद लाना चाहते हैं लेकिन मैं जानना चाहता हूं उस समय आपने इस सम्बन्ध में क्या कार्यान्विति की ?

श्री राम लाल राही : उस समय वहां पर अकालियों की सरकार थी । में अकाली नहीं हूं फिर मुझ को क्यों इंगित कर बात कर रहे हैं।

श्री राम सिंह यादव : उन्होंने वहांपर आपसे हाथ मिलाया हुआ था ।

राम विलास जी अपना भाषण देकर यहां से चले गए । मैं उनसे जानना चाहूंगा कि 1977 से 1980 तक जब केन्द्र में लोकदल और जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय कितने बीधे भूमि सीलिंग ऐक्ट के अन्तर्गत आंवटित की गई थी, कितनी भूमि भूमिहीन किसानों को दी गई थी ? क्या उनके पास इस सम्बन्ध में कोई आंकड़े हैं ? मैं समझता हूं यदि उस समय से तुलना की जायेगी तो ज़ीरो परसेन्ट ही निकलेगा । मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन उस समय केन्द्र में भी जो मंत्री थे वह भूपति थे और भूपतियों से उनकी साठ-गांठ थी । उस समय भी वे उनके हमदर्द थे और आज भी उन्हीं के हमदर्द हैं। इसलिए सीलिंग के बारे में कांग्रेस पार्टी पर कोई आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। जम्मू कश्मीर तथा हरएक स्टेट में सीलिंग से संबंधित कानून को नाइंथ शेड्यूल में रखा गया है और वहां के विधान मण्डल अधिनियमों में कोई भी संशोधन करने के लिए पूर्ण रुप से सक्षम हैं। आज भी कर सकते हैं, उनपर कोई पाबन्दी नहीं है । जहांतक इसको कार्यान्वित करने का सवाल है, हम भी प्रयत्न-शील हैं और आप भी प्रयत्नशील रहें । यह सभी की जिम्मेदारी है । किसी भी भूपति के पास ऐसी ज़मीन है जो सीलिंग में नहीं आई है, तो सभी की जिम्मेदारी है कि उस भूमि को उससे लिया जाए ।

हमारी नेता, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने केवल भूमि के सम्बन्ध में ही नहीं, उससे आगे भी कदम उठाए थे । आर्टिकल 43 (ए) के अन्तर्गत यह प्रावधान किया गया कि जितने भी इंडस्ट्रियल बिजनेस मैनेजमेंट हैं उनमें मजदूरों का भी आर्टिसिपेशन होगा । क्या वेस्ट बंगाल में आर्टिकल 43 (ए) के प्राविजंस को लागू किया गया ? श्री लारेंस, जिनकी पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में है उसने कलकत्ता या अन्य स्थानों पर इस प्राविज़न को कहांतक लागू किया है ? उन्होंने इस सम्बन्ध में कोई अधिनियम बनाए हैं ?

मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इसके लिए पोलिटिकल-बिल की जरूरत है, एक इकानोमिक फिलॉसफी की आवश्यकता हैं। हमारी पार्टी की इकानोमिक फिलॉसफी, है इकानोमिक आदर्श है, एक इकानोमिक सिद्धान्त है और उसी सिद्धान्त पर आगे चलकर हम देश की अर्थ-व्यवस्था को गति देना चाहते हैं । देश की अर्थ-व्यवस्था को बढ़ावा देना चाहते हैं । आम आदमी की हैसियत में सुधार लाना चाहते हैं ।

(श्री राम सिंह यादव)

आपको मालूम है कि कांग्रेस सरकार ने सन् 1980 में शासन में आने के बाद सबसे पहले इन्टिग्रेटेड रूरल डवेलपमेंट प्रोग्राम शुरु किया। आज देश के 5,611 डवेलपमेंट ब्लाक बने हुए हैं, जिनको पंचायत समिति भी कहते हैं या ब्लाक एरियाज़ कहते हैं। हमारी सरकार ने यह कहा कि हम हर ब्लाक में 600 ऐसे परिवारों को जो गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं, उनको आर्थिक रुप से सहायता देकर उनकी आमदनी में सुधार करना चाहते हैं। जिससे उनकी आय के स्रोत बढ़े। इस प्रकार पांच साल के अन्दर छठी पंचवर्षीय योजना के अंत तक करीब एक करोड़ 50 लाख परिवार ऐसे होंगे जो आई०आर०डी०पी० के तहत होंगे और उन गरीब आदमियों के लिए, मजदूरों के लिए यह एक सुनेहरी मौका है।

15 अगस्त को हमारी प्रधान मंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी ने एलान किया है कि जो शिक्षित बेरोजगार है, जो अपना उद्योग लगाना चाहता है, उनको 25 हजार रु० तक किसी भी शैड्यूल्ड या कार्मशियल बैंक से कर्जा मिल सकता है। मुझे आज यह बात कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि इससे मेरे निर्वाचन क्षेत्र के नौजवान लोगों में के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई है। उद्योग लगाने के लिए सरकार की सूची में से कोई भी उद्योग वह सिलैक्ट कर सकता है। यह काम सबसे पहले हमारी सरकार ने 1980 में शासन में आने के बाद किया। यदि कोई व्यक्ति पांच हजार तक का कर्जा लेता है, चाहे वह पान वाला हो, रिक्शा वाला हो, जूता बनाने वाला हो या कपड़े सीने वाला हो, जो भी गरीब आदमी हो, उसको किसी भी प्रकार की शियोरिटी दिए बगैर पांच हजार का लोन मिल सकता है और इस तरह के लोन अभी दिए जा रहे हैं। इस तरह से कांग्रेस सरकार ने गरीब आदमियों की तरक्की के लिए बहुत बड़ा काम किया है।

माननीय सदस्य, श्री लारेंस, ने जो यह बिल पेश किया है, वह असल में सही तरीके से मुद्दे को दर्शाता नहीं है। उन्होंने इस प्रावधान को समझा नहीं है। 31-बी में कहा गया है जो कि कानून बने हुए हैं, उनको आप इसमें लायेंगे। 31 (बी) में जो आप संशोधन लाना चाहते हैं, यह संशोधन तो उसके अनुरुप नहीं है, बल्कि वह आपका संशोधन 31 (सी) के खिलाफ हो जाता है। धार 31 (सी) में कहा गया है कि -

> "31. C. Saving of laws giving effect to certain directive principles.
>
> Notwithstanding anything contained in Article 13, no law giving effect to the policy of the State towaros securing all or any of the principles laid down in Part IV"

Directive principles

> "Shall be deemed to be void on the ground that it is inconsistent with, or takes away or abridges any of the rights conferred by Article 14 or Article 19 or Article 31 and no law containing a declaration that it is for giving effect to such policy shall be called in question in any court on the ground that it does not give effect to such policy ;
>
> Provided that where such law is made by the Legislature of a State, the provisions of this Article shall not apply thereto unless such law, having been reserved for the consideration of the President, has receivєd his assent."

इसलिये मैंने पूर्व में कहा था कि जो लैंड रिफार्म बनाने का कानून है, वह विधान सभा को बनाने का अधिकार है। यह कानून आप वहां बना सकते हैं, लैंड एलाटमेंट लॉ बना सकते हैं, लैंड एक्वीजिशन लॉ बना सकते हैं। उसको

बनाकर राष्ट्रपति जी से स्वीकृति लेकर 9वें शेड्यूल में लाया जा सकता है । इस तरह से इसकी स्क्रीनिंग की जाती है । आप मास-स्केल पर यह कहें कि जमीन से ताल्लुक रखने वाला कोई भी कानून, चाहे वेज तय करने का हो, एग्रीकल्चर लेबर का हो या कोई भी हो, वह इसमें आ जायेगा—इस तरह की मंशा जो संविधान की धारा 31(बी) में लायी गयी है, वह इसमें फिट-इन नहीं होती है । बल्कि यह उसके विपरीत जाती है । यदि इसको 31(बी) में शामिल कर दिया जाता है, तो धारा-31 जो अपने आप में एग्जिस्ट करती है, जो उसका अर्थ है, तात्पर्य है, वह खत्म हो जाता है ।

31(बी) में केवल यह कहा है—

"Without prejudice to the generality of the provisions contained in article 31A, none of the Acts and Regulations specified in the Ninth Schedule nor any of the provisions thereof shall be deemed to be void, or ever to have become void, on the ground that such Act, Regulation or provision is inconsistent with, or takes away or abridges any of the rights conferred by, any provisions of this part, and notwithstanding any judgment, decree or order of any court or tribunal to the contrary, each of the said Acts and Regulations shall, subject to the power of any competent Legislature to repeal or amend it, continue in force."

इसलिये 31(बी) यह मान कर चलता है कि——कोई ऐसी अधिनियम अस्तित्व में है, एक्जिस्टेन्स में है, जिसको प्रोटेक्शन की जरूरत है और प्रोटेक्शन उसी को मिलेगा जो कहीं अस्तित्व रखता है । अगर कोई ला अस्तित्व नहीं रखता है, एक्जिस्टेन्स नहीं है, कोई कानून ही नहीं बना है, किसी विधान मंडल या संसद ने नहीं बनाया है तो उसको 9वें शेड्यूल में कैसे रखेंगे । इसकी कल्पना यह है कि इस तरह का कोई अधिनियम होना चाहिये और यदि उसको सपोर्ट देना है जिससे वह किसी कोर्ट में नल-एण्ड-वाएड करार न दिया जा सके तो उसको 9वें शेड्यूल में रखा जा सकता है ।

इसलिये जो संशोधन माननीय सदस्य लाना चाहते हैं वह किसी भी तरह से कानून के दायरे में नहीं आता है । 31(सी) में दिया हुआ है कि हमारी पालिसी को इम्पलीमेंट करने के लिये यदि कोई नियम बनाया जाता है तो वह जस्टिसियेबिल होगा, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल के आधार पर होगा, जैसे आर्थिक विषमता को दूर करना चाहते हैं, सामाजिक न्याय देना चाहता है, इस दृष्टि से 31(सी) में उसको संरक्षण दिया गया है । इसलिये आपका जो संशोधन है उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाती है और मौजूदा प्रावधानों में किसी भी तरह से उसका समावेश सम्भव नहीं है । आपका उद्देश्य अच्छा हो सकता है मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन संवैधानिक दृष्टि से मुझे यह सम्भव नहीं लगता है ।

इन शब्दों के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

श्री सूरज भान (अम्बाला) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिये मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं । मैं और मेरी पार्टी इस बिल का समर्थन करते हैं । अभी तक जितने माननीय सदस्य इस बिल पर बोले हैं, केवल एक माननीय सदस्य को छोड़कर सब ने इसका समर्थन किया है । जिन माननीय सदस्य ने इसका विरोध किया है उन्होंने संवैधानिक आधार को लेते हुये कहा है कि जिसका एक्जिस्टेन्स नहीं है उसको कैसे इसमें लिया जा सकता है—

"All laws made by Parliament or Legislature..."

(श्री सूरज भान)

पहले कानून बनाना होगा, उसके बाद 9वें शेड्यूल में आने की बात पैदा होगी, उसके पहले आने का सवाल नहीं है। उन्होंने इस बिल की स्प्रिट को भी अषोज किया है—मान लीजिये किसी मजदूर की तनख्वाह का प्रश्न है तो वह चाहते हैं कि अदालत में उसको चेलेंज किया जा सके। वीकर सैक्शन से संबंधित कोई जमीन का मसला है, लैंड रिफ़ार्म से ताल्लुक रखने वाला मसला है, बिल को पेश करने वाले माननीय सदस्य का तात्पर्य यह था कि कोई भी चीज अदालत में न जाय। मुझे इस संबंध में दो बातें विशेष रूप से निवेदन करनी है। पहली बात तो यह कि संविधान 1950 में लागू हुआ, उस वक्त बड़ा शोर मचना शुरू हुआ कि लैंड रिफार्म करेंगे। मुझे अपने पंजाब और हरियाणा का तजुर्बा है, उस वक्त पंजाब और हरियाणा इकट्ठे थे—वहां बड़े-बड़े जमीदारों ने अपनी तमाम जमीनों को बांट दिया, वे जमीनें किसी को दी नहीं गयी, लेकिन उनको सब्जियों के नाम पर जैसे आलू सिंह, गोभी सिंह, झूठा सिंह, मझ कौर के नामों पर ट्रांसफर कर दिया। मैं आज इस सदन में मांग करता हूं——अगर आप वाकई ईमानदारी से कुछ काम करना चाहते हैं तो हिन्दुस्तान में एक कमीशन बैठाईये।

मेरा कहना यह है कि 1950 के बाद जितने लैंड ट्रांजेक्शन्स हुये हैं, उन सब की स्क्रूटिनी होनी चाहिये और आलू सिंह और बेंगन सिंह के नाम पर जो जमीन बंटी हुई है, यह खत्म हो।

मैं पहली मांग तो यह करना चाहता हूं कि जो भी कानून बने हुये हैं उनका ईमानदारी से इंपलीमेंटेशन होना चाहिये। मैं आपको बताऊं कि 1976 में केरल में एक कानून पास हुआ था केरल लैंड ट्राइबल एलियेनेशन एक्ट, जिसमें यह प्रावधान था कि स्टेट में किसी आदिवासी की जमीन को नान-आदिवासी नहीं खरीद सकता और इस तरह से उसका एक्सप्लाईटेशन नहीं कर सकता। यह आपको पता है कि 1976 में वहां किसकी हुकूमत थी और उसके बाद कई हुकूमतें बदलीं। यह कहने की जरूरत नहीं है कि आज किसकी हुकूमत है लेकिन बदकिस्मती यह है कि 1976 में बने हुये कानून के आज तक रूल्स नहीं बने। कानून 1976 में पास हो गया था लेकिन उस पर अमल करने के लिये रूल्स नहीं बने। इस तरह से जब नीयत ठीक नहीं है, तो नीति का लागूकरण कैसे होगा। 1976 में वह कानून पास हुआ था और ऐसे कानून एक जगह ही नहीं बल्कि बहुत सी जगहों पर बने हुये हैं लेकिन जमीन कितनी लोगों को मिली। फिर फैमिली की डेफीनीशन क्या है. यह आप देखिये। एक-एक फैमिली की 10-10 फैमिलियां बन गईं और हर लड़के ने अलहदा होकर अपनी फैमिली बना ली और इस तरह से अपने में जमीन बांट ली। इसलिये यह जो फैमिली की डेफीनीशन है, इस को भी आप देखिये।

मैं कोई बहुत ज्यादा लम्बी-चौड़ी बात इस मामले पर नहीं कहना चाहता हूं बल्कि मेरा निवेदन यह है कि इस पर सरकार द्वारा व्हिप न इशू हो और अगर इशू हो, तो कम से कम हक में हो क्योंकि इस बारे में मेरा अपना जाती तजुर्बा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सन् 1969 में मैंने एक ऐसा बिल पेश किया था, जिस का मकसद यह था कि हरिजनों और आदि-वासियों को नौकरियों में और लेजिसलेचर में और अन्य क्षेत्रों में उनकी आवादी से कम हिस्सा न मिलें। मुझे यह कहते हुए अफसोस होता है कि उस बिल का विरोध तो किसी ने नहीं किया लेकिन एक डाइरेक्टिव इशू हो गया था कि 'हो' या 'ना' के झगड़े में सदस्य न पड़े। बल्कि इस बिल को हराने का एक ही तरीका है कि वे हाऊस के अन्दर गैर-हाजिर हो जायें।

कहने का मतलब यह है कि डाइरेक्टिव यह था कि इस बिल के खिलाफ मत बोलो और न इस के हक में बोलो और हाऊस में मौजूद न रहो, जिसकी वजह से 213 मेजोरिटी न हो पाई और वह बिल पास न हो सका। मैंने यहां तक कहा था कि मैं अपना बिल वापस लेने के लिए तैयार हूं अगर गवर्नमेंट यह इंश्योरेन्स दे दे कि इस तरह का बिल उनका अपना आदमी या वह खुद लाएगी। यही अल्फाज मैं मि० लारेन्स के मुंह से कहलाना चाहता हूं और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वे अपना बिल वापस लेने के लिए तैयार हो जायें लेकिन सरकार इस बात को मान लें कि हम इस तरह का बिल लायेंगे। इसमें पार्टी का सवाल नहीं है। हम सब गरीब लोगों के वेलफेयर में इंट्रेस्टेड हैं। आप खुद इस तरह का बिल ले आने का इंश्योरेन्स यहां दे दें हालांकि हर आदमी की कोशिश यही होती है कि बिल उसके नाम से पास हो। ये जो बिल आते हैं, लाटरी में उनकी क्या फेट होती है, इसकी कहानी में मैं नहीं जाना चाहता लेकिन यह जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि आप ऐसा इंश्योरेन्स दे दें या इस बिल को पास कर दें और मि० लारेन्स को नाम बिल के साथ में रहे।

अन्त में मैं इतना ही कहूंगा कि सन् 1950 से जितने भी लेंड ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, उनकी स्क्रूटिनी की जाए और जो गलत पाए जायें, उनको **नल एण्ड वायड** करार दिया जाए और जो सही हों, उनको बरकरार रखा जाए। जो बेनामी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, वे सब खत्म हों और यह बिल या तो पास कर दिया जाए या यह वापस हो जाए इस इंश्योरेन्स के साथ कि हम एक दूसरा बिल लायेंगे और उसमें जो इस बिल की स्प्रिट है, वह रहेगी।

MR. DEPUTY SPEAKER : Hon. Members, the time allotted for this Bill was 2 hours. Now the time is over and there are some more hon. Members who want to speak. So I would like to know the sense of the House whether we may extend the time for the Bill by one more hour.

SEVERAL HON MEMBERS : Yes, Sir.

MR. DEPUTY SPEAKER : So the time for the Bill is extended by one hour.

Now, Mr. Mool Chand Daga.

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, आज अच्छा मौका है। तीन मंत्री यहां बैठे हुए हैं। एक कानून मंत्री, एक ग्रामीण विकास मंत्री और योजना मंत्री, वित्त मंत्री और एजूकेशन मंत्री तो एजूकेशन तो देने का काम आप करेंगे और हमने काफी शिक्षा ग्रहण कर ली है। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि अगर आप तीनों मंत्री एक राय हो जायें तो इस समस्या का समाधान भी हो जाएगा। आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश एक हो जायें अगर आपका पोलिटिकल बिल एक हो जाए इस काम को करने में तो यह काम हो सकता है। कानूनी नुक्ताचीनी में मैं नहीं जाना चाहता हूं। मैं सिर्फ आपके उत्तर की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। नारों के सहारे बनाई तो जा सकती है पर सरकार चलाई नहीं जा सकती। दीवारों पर देख लीजिए कि क्या लिखा हुआ है। आप लैंड रेफार्म नहीं कर पाए। आपने 5-4-83 के इकनामिक टाइम्स में यह कहा है जो और भी कई अखबारों में छपा है—

> "The Union Government has decided to amend the Constitution in regard to land reforms and bring it under the Ninth Schedule. It is realised that the reason for indifferent progress in the implementation of land ceiling laws is litigation and effective steps have to be

(Shri Mool Chand Daga)

taken to overcome this. The Amending Bill is to be brought during the current session of Parliament."

अब क्या आप इसको चेलेंज करेंगे। क्या आप हिम्मत कर सकते हैं।

श्री सूरज भान : यह किस मंत्री का बयान है ?

श्री मूलचन्द डागा : यूनियन गवर्नमेंट का बयान है, ज्वाइंट रेसपान्सिबिलिटी है।

मैं एक बात कहना चाहता हूं। 20 सूत्री कार्यक्रम हमारा लक्ष्य है और इसके मालिक ग्रामीण विकास मंत्री बैठे हैं। योजना मंत्री जी ने क्या कहा—

> "The programme of taking Possession and distribution of surplus lands would be completed within a period of two years, that is by 1982-83."

उन्होंने इंपलीमेंटेशन क्या किया ? ग्रामीण विकास मंत्री उत्तर दे रहे हैं, आप देखिए। जो सरकारें इन बातों को नहीं जानती हैं कि किसान की आवाज दीवारों पर लिखी हुई है उनको पढ़ लें। गरीब अब गरीबी बरदाश्त नहीं कर सकता। कहते हैं कि हिन्दुस्तान के लोग मुकाबला नहीं करेंगे, लेकिन समय आएगा। इन्होंने एक उत्तर दिया है 22 सितम्बर, 1983 को—

> "Distribution of surplus land taken over under the 20-point programme is monitered by the Ministry of Rural Development, which obtains aid for implementation of land. The Planning Commission makes an appraisal of the programme as part of its monitoring and evaluation of the 20-point programme. It sets up target for distribution of 3.70 lakh acres of surplus land. Out of this 2.50 lakh acres of land has been distributed which represents 44.77 per cent of the traget."

हमारे ग्रामीण विकास मंत्री जी 20 प्वाइंट प्रोग्राम के जरिए क्रांति लाना चाहते हैं। गरीबों को ऊपर लाना है। दस करोड़ गरीब लोगों को रोटी देनी है। जो जाते उसी की जमीन है। लेकिन, यहां इस संसद में और बाहर वही लोग बैठे हैं जो जमीन के सहारे कमाते हैं। हमारे संविधान का आर्टिकल-38 क्या कहता है, यह आपको पता है। यह क्रांतिकारी दस्तावेज बन गया है। हमारे लॉ मिनिस्टर यहां बैठे हुए हैं। इनका सम्बन्ध संविधान से है। आर्टिकल-38 में जो कहा गया है वह मैं आपको बताना चाहता हूं।

> The State shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting, as effectively as it may, a social order in which justice, social, economic and political, shall inform all the institutions of the national life.

जमीन किसकी जो जोते उसकी। धूप में मेहनत कोई करे, पसीना कोई बहाए, सर्दी में कोई रहे लेकिन जमीन उसकी जो एयर-कंडीशन में रहे। तब यह संविधान क्या बना ? हमारी कथनी और करनी में फर्क है। हम लोग प्लान बनाते हैं, 20 प्वाइंट प्रोग्राम बनाते हैं। उस प्रोग्राम पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट हुए हैं।

पहला जजमेंट था केशवानन्द भारती का, जो मैं आपको बताना चाहता हूं।

> In the words of Hegde and Mukharjee, JJ ;

> "The purpose of directive principles is to fix certain social and economic goals for immediate attainment by bringing about a non-violant social revolution."

That judgment is of the Supreme Court it is the law of the land.

नॉन वाइलेंस, सोशल रेवोल्यूशन लाने के लिए यह जजमेंट हो चुका है।

The same answer is reported by every Minister, very few Ministers give any other answer. They say :

"The abalition of intermediary tenures, ceilings on land holdings, and amelioration in the condition of tenants are substantial achievements.

कानून लाने वालों ने चाहे गलती की है और उसमें मैं मानता हूं कि कुछ कमी है। लेकिन लैंड रिफार्म आज तक नहीं हुआ। यह आप मानते हैं कि पार्लियामेंट में क्या उत्तर देते हैं। लैंड रिफार्म इसलिए लागू नहीं कर सकते, क्योंकि यहां गड़बड़ है। आफिस में बड़ा अच्छा काम होता है। टाईप किया हुआ उत्तत रहता है।

MR. DEPUTY SPEAKER : Mr. Daga, when you become Minister you will also do the same.

SHRI MOOL CHAND DAGA : No ; never. I know I have done my job well. I know what kind of work we should do.

हम लोग सरकारी अधिकारियों के बैसाखी बन गए और इनको बैसाखी पर चलना सिखाया। यह कोई बुरी बात नहीं है। ऐसे उत्तर जो ये देते हैं, इनको फेंक देना चाहिए। क्रांतिकारी कदम उठाने चाहिए नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। उनके प्रति श्रद्धा है। आदत पड़ जाती है और जव आदत पड़ जाती है तब वैसा करना पड़ता है और जो वह कहें करना पड़ता है और जिस तरह से चलाना चाहें चलना पड़ता है। आगे वह कहते हैं :

"(i) frequent challenges of laws in courts ;

(ii) absence of correct and uptodate land records; and

(iii) administrative delays, generally occassioned by inadequacy of the revenue machinery.

(iv) Land reforms is a State subject, but the Government of India are committed to effective implementation of land reforms and have been urging the State Governments to accelerate the pace of implementation of land reform laws. In particular, attention has been drawn to the need to improve the performance in respect of distribution of ceiling surplus land."

यह जवाब चाहे स्वामीनाथन जी ने दिया हो या किसी और ने, सभी की तरफ से इस तरह के ही बाव आते हैं। आप कहते हैं कि कोर्ट्स आपको रोक रही हैं। लेकिन कितना लैंड रिफार्म हो गया है......मैं डिटेल्ज देना नहीं चाहता और अगर फिगर्ज दूं नो मुझे बड़ा दुख होगा।

सवाल यह पैदा होता है कि इंपलेमेंट कौन करता है ? आज लैंड रिफार्म्ज का मतलब यह नहीं है कि सीलिंग एक्ट आपने लागू कर दिया तो लैंड पर सीलिंग लग गई। गवर्नमेंट सर्वेंट्स को जमीनें एलाट कर दी गई हैं। जमीन पर नाम किसी दूसरे का होता है और जमीन होती किसी और के पास है। बेन मी जमीनें हैं। आज राजस्थान में कई राजा और महाराजाओं के पास फ्यूडल एलीमेंट्स के पास जमीनें हैं। लेकिन उनका बटवारा नहीं हुआ है। मैं समझता हूं कि पैंतीस साल में आपको इस चैप्टर को खत्म कर देना चाहिए था। बीस प्वाइंट प्रोग्राम को जो चलाने वाले हैं, उनसे भी मेरा यही कहना है कि आप भी जमीनें जिस तरह से एलाट करनी चाहिए, नहीं कर पाते हैं। इसका कारण यह है कि जो अदालतें हैं जो कानून

(श्री मूल चन्द डागा)

चलाना चाहते हैं उन्होंने खुद जमीनों को अपने पास दबा रखा है। लावीज बनी हुई है।

हमारे मंत्री जी कहते हैं कि हरित क्रांति हुई है। किन के घर में हुई हैं ? जिनके पास ज्यादा जमीनें हैं उनके यहां हुई हैं। यह गरीबों के लिए नहीं हुई है। उनके लिए तो रोने की क्रांति है। बहुत कम बैनिफिट उनको मिला है। हमारे ग्रामीण विकास मंत्री कहते हैं कि 5011 ब्लाक्स में गरीबी को हम मिटा कर रहेंगे। या तो मंत्री जी मिटेंगे या इनकी गरीबी को मिटा कर रहेंगे। भगवान जाने क्या होने वाला है।

जिन के पास ज़मीन है उनको खेत से धान आता है, उपज उनके पास पहुंच जाती है। कहां आप मीटिंग ही मीटिंग करते हैं। जब कभी नया मंत्री आता है तो पहले मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखता है। लव लैटर लिखता है। लिखना भी चाहिये। हर नया मंत्री यही करता है। लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है।

नवे शैड्यूल में रखने की जिस तरह से मांग की गई है वह ढंग गलत है। कानून उन्होंने ठीक तरह से नहीं बनाया है, इसको मैं जानता हूं। लेकिन सवाल वह नहीं है। सवाल यह है कि आप कमिटेड हैं। संविधान ने आपको अधिकार दिया है और आप चाहते भी हैं कि देश से शोषण मिले, समाजवादी समाज देश में स्थापित हो। यह गांधी जी का देश है। इस देश में किसी की मेहनत को दूसरा न लूटे इसकी व्यवस्था आप करें। हम नहीं चाहते है कि मेहनत कोई करे और मौज कोई दूसरा उडाए। ज़मीन उसकी हो जो उसको जोते और इसकी व्यवस्था आप करें। जिस आइडिया को ले कर उन्होंने यह संशोधन विधेयक रखा है उसके परपज अचीव नहीं होगा। मैं समझता हूं कि इस काम को करने के लिए पोलिटिकल विल और डिटर्मिनेशन का होना बहुत जरूरी है। 1985 यानी छठी योजना तक सारी की सारी जमीन बांट दी जाए और ऐसा अगर आप करना चाहते हैं तो युद्ध स्तर पर आपको काम करना होगा। इरादा अगर मजबूत होता है तो जरूर सफलता मिलती है और अगर इरादा कमजोर होता है तो सफलता नहीं मिल सकती है।

श्री राम लाल राही (मिसरिख) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय लारेंस जी संसद ने जो बिल पेश किया है मैं उसके समर्थन में कुछ कहना चाहता हूं श्रीमान, मैं बड़ी देर से सुन रहा हूं दोनों पक्षों के सदस्यों को। सम्भवत: जाने या अनजाने में सभी लोगों ने जो इस बिल को जो भावना है उसका समर्थन किया है। इस बिल को मैंने देखा तो एक बात जो इसके उद्देश्य और कारणों में लिखी गई है जिसमें यह कहा गया है कि :

......न्यायपालिका द्वारा, भूमि सुधारों और भूमि के अर्जन जैसे सामाजिक और आर्थिक न्याय से संबंधित कानून, संविधान की शक्तियों से परे घोषित कर दिये जाते हैं।...

श्रीमान्, न्याय पालिका को शक्ति देता है संविधान और यह संसद व विधान संस्तायें संविधान व कानून को बनाती हैं मैं तो यह मान कर चलता हूं कि अगर हम दोषारोपण करें न्यायपालिका पर कि वह यक्षम नहीं है, या उसके सामने जो भूमि सम्बन्धी विवाद जाते हैं उसमें कठिनाइयां पैदा होती हैं तो यह कानून की कमजोरी है। हमको चाहिये कि हम विधान सभाओं में अथवा लोक सभा में जब इस पर चर्चा हो वहां पर ऐसे प्रभावी कानून बनावें, कानून, को ऐसी शक्ति दें, न्यायपालिका को ऐसी शक्ति दें जिससे ज़मीन चोर या

भूमि सुधार में बाधा पहुंचाने वाले लोग लाभ न उठा सकें।

इस देश में बहुत कम पढ़े लिखे लोगा हैं। और अगर पढ़े लिखे लोगों की संख्या कुछ बढ़ गई है तो ऐसे लोग बहुत कम हैं जो कानून को जानते हों। हमारे ऐसे लोग कानून को नहीं जानते हैं। हम लोग तो देखते हैं कि कानून क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है। संविधान और कानून बना है, हमारे यहां लैंड सीलिंग ऐक्ट बना है, भूमि अर्जन अधिनियम बना है, और तरह तरह के कई ऐसे कानून बने हैं जिनके द्वारा इस बात का आजादी के बाद से निरन्तर प्रयास किया जाता रहा है कि बड़े भू-स्वामियों से ज़मीनें निकलें और जो वास्तव में ज़मीन पर काम करते हैं, देश का उत्पादन बढ़ाते हैं उनके बीच वह जमीन बटे। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं, और स्पष्ट है कि जो भी कानून बने वह अभी तक कारगर साबित नहीं हो पायें हैं। मैं मिसाल देता हूं उत्तर प्रदेश की, वहां की यही स्थिति है, मुझे मालूम है कि एक-एक व्यक्ति के पास 5,5 हजार बीघा ज़मीन है। मेरे गांव के ही एक भू-स्वामी के पास कम से कम 1 हजार बीघा ज़मीन होगी केवल एक परिवार में और सरकार उनसे ज़मीन नहीं निकाल पा रही है।

अभी कई सदस्यों ने कहा, प्रश्न यह नहीं है कि ज़मीन क्यों नहीं निकल रही है, प्रश्न यह नहीं है कि भूमि सुधार क्यों नहीं हो रहा है, प्रश्न यह नहीं हैं कि भूमि क्यों नहीं वितरित हो रही है, बल्कि प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में हमारी सरकार में बैठे लोगों नीयत में यह बात हैं कि भूमि बड़े भू-स्वामियों से निकले और गरीबों में बटे? मेरा यह द्रढ़ सत है कि 35 साल में कभी भी सरकार ने ठोस तरीके से ऐसा काम नहीं किया। इनके प्रशासन ने इस तरह का काम नहीं किया जिससे ज़मीनें बड़े लोगों से निकलीं और उनका सही रुप में सही लोगों में बटवारा होता। जिन लोगों ने कभी मजबूत कदम उठाने की कोशिश की है उनकी ढांगे घसीटी गई हैं बेकाम कर दिये गए हैं। हमारे यहां उत्तरप्रदेश में भी यही स्थिति थी। जब बहुगुणा जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने जब देखा कि यहां बड़े-बड़े भूमि चोर है जो हजारो हेक्टेयर दबाए हें तो उन्होंने प्रयास किया कि इनसे भूमि निकले। श्री विशारद जी, जो पिछली लोक-सभा में सदस्य रहे हैं, उनकी अध्यक्षता में उन्होंने एक कमेटी अपने मुख्य मंत्रित्व काल में उ० प्र० में बनाई थी और उस कमेटी ने सारें उत्तरप्रदेश में भूमि-चोरों को पकड़ा और बेनकाब कर दिया। वह भूमि चोर पकड़े गये जो इस सदन में बैठे हैं और उस समय की उ. प्र. की विधान सभा में बैठे थे, जो वकालत करते थे कि भूमि बितरण का काम होना चाहिये। वह झूठी वकालत करते थे। जब वह पकड़े गये तो एक षडयन्त्र रचा गया। जानते थे कि बहुगुणा बैठा है, गरीबों के हित में गरीबों के लिये भूमि निकालेगा तो केन्द्र सरकार ने षडयन्त्र रचा और भूमि चोरों ने षडयन्त्र किया और उनको वहां से हटा दिया गया। भूमि वितरण का काम ज्यों का त्यों पडा रह गया।

मैं अभी 8 दिन का दौरा 27 तारीख से 3 तारीख तक का घाघरा नदी के पास किनारे-किनारे जहां बाढ़ आई थी वहां का कर के आया हूं। वहां सैकड़ों जानवर और सैकड़ों आदमी बह गये, लाखों मीट्रिक टन फसल नष्ट हो गई। मैं क्षेत्र में 8 दिन घूमा हूं। मैंने तहसीलदार और डिप्टी कलैक्टर से जाने से पूर्व पूछा उन्होंने कहा कि कहीं थोड़ी बहुत जमीन वितरण के लिए रह गयी हो तो रह गई हो बाकी सारी जमीन बांट दी गई है।

(श्री राम लाल राही)

मैं ईमानदारी से कहता हूं कि तहसील विस्वां, जिसकी प्रतिनिधि इस सभा में श्रीमती राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी हैं, वह यहां इस समय हैं नहीं, इसलिये नाम नहीं लेना चाहिये, लेकिन वह सत्तारुढ़ दल के वरिष्ठ पद पर बैठी हैं और उत्तरप्रदेश का एक मंत्री जिसका नाम अम्बा रिज़वी है, महमदाबाद तहसील का प्रतिनिधि है एक विधान-सभा क्षेत्र का, दोनों के इलाको की 90 प्रतिशत ज़मीन जो सीलिंग ग्राम समाज की है नहीं बांटी गई है। जब सत्ता में ऊंचे-ऊंचे पदों पर बैठे लोगों की जमीन नहीं बांटी जायेगी, अधिकारी उनकी नहीं सुनेंगे तो हमारे जैसे लोगों का क्या होगा ? जब डाक्टरों के बच्चे मरने लगेंगे तो सब क्या करेंगे। हमको तो वैसे ही जिन्दा गाड़ना शुरु कर देना होगा। यह हालत आज है।

डागा साहब बड़ी सही बात कह रहे थे, लेकिन क्या करें ? हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको शक्ति मिले, बैठें वह सरकार में। हम भी देखें कि वह आज जिस तरीके से बोल रहे हैं, क्या वह उसी तरीके से बोल या कुछ कर पायेंगे या नहीं। हमें विश्वास है कि वह अपने विचारों के अनुकूल काम करेंगे, लेकिन जिसके नेतृत्व में काम उन्हें करना पड़ेगा, वह उनको काम करने देंगे, इसमें मुझे सन्देह है।

जहां-जहां भूमि सुधार के और भूमि चोरों से जमीन निकालने के लिये और गरीबों में बांटने के लिये उपाय किये गये, भूमि चोरों ने केन्द्रीय सरकार पर दवाब डालकर ऐसे अच्छे लोगों को हटाने में सफलता प्राप्त की, यह बात मैंने आपसे कही है।

मैंने उदाहरण भी दिया है उत्तर प्रदेश सरकार का। अभी मैं हरदोई जनपद में गया, वह मेरे बगल का जनपद है। तहसील संडीला वहां है, उसमें परगना मजिस्ट्रेट से लेकर तहसीलदार और ए० डी० एम० नाम का कानूनगो लेखपालों तक सब लोगों ने सीलिंग की जमीन को अपनी बीबी और बच्चों और रिश्तेदारों के नाम कर दिया। वहां के वकीलों को जब मालूम हुआ बार एसोसियेशन ने लिख कर दिया कलेक्टर को कमिश्नर को मुख्यमंत्री को लिखा लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसी स्थिति में उन्हें घरना देना पड़ा, वकीलों को एक हफ्ते तक धरना देना पड़ा तब जाकर परगना मजिस्ट्रेट और तहसीलदार हटाये गये लेकिन सबूत मिले हैं, पट्टे हुए है, लिखा-पढ़ी में सारी चीजें में लेकिन कोई जांच पड़ताल करने या उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न अभी तक नहीं उठा है। क्या उम्मीद की जाये इस सरकार से? जहां सबूत दिये जायें चोरी के महत्वपूर्ण सबूत दिये जायें कि अधिकारी किस तरह से षडयंत्र कर गरीबों के नाम पर बांटने वाली जमीन को अपने हित में ले रहे हैं, पर सरकार मौन है।

18.00 hrs.

MR. DEPUTY SPEAKER : Mr. Rahi, will you conclude in 1 or 2 minutes ? You can continue next time if you like.

श्री राम लाल राही : मैं खत्म कर रहा हूं जहां इस तरह की घटनायें हों और सरकार न सुने तो भूमि चोर जो न्यायपालिका में जाकर अपनी बचत की कोशिश करते हैं उनको कौन रोक पायेगा ? ऐसा सम्भव नहीं है।

समाजवाद की बात कही गई है। यह समाजवाद का कोरा नारा बहुत अर्से से लगता चला आ रहा है। मैं तो इस मात्र कोरा नारा मानता रहा हूं। मैंने गांव और शहरों के फर्क को देखा है। शहर के जीवन और गांव के जीवन

को देखा है । मैंने अभी जिक्र किया कि मैं पैदल यात्रा पर गया था और वहां मैंने वह इलाका भी देखा जहां समाजवाद की बात कही जाती है।

घाघरा नदी के किनारे गोलोक कोडर और रण्डा कोडर जैसे गांव हैं उनमें आज भी समाजवाद की बातें करने वाली सरकार के अधिकारी, कर्मचारी, सिपाही और लेखपाल जाते हैं, गरीबों के घर में जिसके दरवाजे बन्दूक टिका देते हैं कहते हैं कि आज हम इस घर में लेटेंगे और उसी घर में घुसकर लेटते हैं। उस घर के आदमियों को मजबूर होकर डरके कारण बाहर लेटना पड़ता है । उनकी बहूं-बेटियों के साथ सरकारी कर्मचारी आज भी लेटते हैं । कोई भी सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति, जिसको इस बात पर विश्वास न हो, उसे वहां ले चल करके मैं यह बात प्रसाणित करवा सकता हूं । यह 35 साल के राज का नतीजा है । इन 35 सालों में जो बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, शोषण, अत्याचार और अन्याय को दूर करने और निर्बल लोगों को उठाने का प्रयास किया गया है उसका यह जीता जागता नमूना है जो मैं मंत्रिगण के सामने पेश कर रहा हूं में कहना चाहता हूं कि अब ये लोग इस देश पर रहम करें । अगर कुछ करना हो तो करें, भाषण यहां पर न दें । इनकी कथनी और करनी में असीमित फर्क है इस देश की जनता महसूस करने लगी है कि वह अंग्रेज़ जो सात समुद्र पार रहता था वह इतरा शोषण नहीं करता था, इतना झूठ नहीं बोलता था जितना आज की सरकार में बैठे हुए लोग बोल रहे है । जो आजादी के बाद सरकार आई है उसमें बैठे हुए लोग जितना बोल रहे हैं ** कर रहे हैं, देश की जनता को धोखा दे रहे हैं, उसको लूट रहे हैं और लुटवा रहे हैं...

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, SPORTS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BUTA SINGH): Sir, I take objection. Unfortunately, you do not know Hindi. He says we are telling**

MR. DEPUTY SPEAKER : I will go through the records.

श्री राम लाल राही : अपने प्रशासन से लुटवा रहे हैं। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि इस सरकार को सचेत करें ताकि यह धोखे और फरेब का राज समाप्त हो। अगर ये चाहते हैं कि समाजवाद आए, गरीबों में जमीन बटे तो मैं एक बात कहना चाहता हू - इन्होंने समाजवाद का नारा दिया है, क्या यह बिड़ल या टाटा की सम्पति को लेना चाहते है जिसको लेना इनके अधिकार में है ? नहीं ले पायेंगे। मात्र धोखा है इनके अधिकार में जो हैं जिसे आसनी से कर सकते हैं क्या उसको ये कर रहे है? देश के जो राज कर्मचारी हैं उनके वेतनों में जो असमनाता है उसको क्या ये मिटा रहे हैं? नहीं मिटा रहे हैं। यह विषमता बूर करना ही नहीं चाहते । यही हाल इनका सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के लिए आवासीय व्यवस्था की सुविधा देने में दूषित नीतिका है एक आई० एम० ए०, आई० पी० एस० डाक्टर, इंजीनियर आदि अफसर के लिए 8 कमरे का मकान बनाते है उसके ही कमरे में लेट्रिन बाथरूम होता है । जिसे दस बजे दफ्तर जाना होता है और चपरासी के लिए एक कमरे का दोनों के परिवार की परिभाशा एक है पर जिसके कमरे के साथ न लैट्रिन है न बाथरुम न रसोईघर । क्या यही समाजवाद है ? इसको आप ठीक करें ।

MR. DEPUTY SPEAKER : Rahi, please conclude Mr. Rawat, you can start

**Expunged as ordered by the Chair.

and speak for a minute. Mr. Rahi, you should obey the Chair. It seems you will never stop. Mr. Rawat.

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र रामलाल राही जी कुछ जल्दबाजी में, कुछ विवेकहीनता में, कुछ उत्तेजना में ऐसी कुछ आपतिपूर्ण बातें कह गए हैं - उन्होंने कहा कि कांग्रेस का जो 35 साल का शासन रहा है वह झूठ, मक्कारी, फरेब और वृदवस्था का शासन रहा है, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि इसमें से 30-31 साल तक जिनको वे अपना नेता मानते हैं, जिनका उन्होंने नाम भी लिया और जिनको वे मानते हैं कि उन्होंने बहुत से भूमि सुधार किए वे कांग्रेस की बदौलत ही उत्तर प्रदेश में मुख्य मंत्री थे। इस प्रकार से वे भी हमारे साथ शामिल रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनको स्वीकार करना चाहिए था कि यदि हमारे शासन के दौरान कोई गल्ती हुई है तो उसमें उनके नेता का भी हाथ रहा है।

श्री राम लाल राही : वे इसी लिए हटाए गए थे क्योंकि वे भूमि सुधार करना चाहते थे, भूमी को परिवार के बीच बांटना चाहते थे। इसी लिये भूमि चोरों ने षड़यन्त्र किया उन्हें हटाया गया।

MR. DEPUTY SPEAKER : Mr. Rawat, you can continue next time.

18.05 hrs.

PAPER LAID ON THE TABLE

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHANA POOJARY) : I beg to lay on the Table a copy each of Notification Nos. 272/83-CE and 273/83-CE (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 18th November, 1983 together with an explanatory memorandum regarding exemption to non-cellulosic wastes in general from payment of basic excise duty in excess of 50 per cent *ad valorem* or Rs. 9 per kg. whichever is less, issued under the Central Excise Rules, 1944. (Placed in Library. See No. LT-7046/83).

MR. DEPUTY SPEAKER : The House stands adjourned to re-assemble on Monday, the 21st November, 1983, at 11 A.M.

18.06 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, November 21, 1983/Kartika 30, 1905 (Saka)